

विवरणिका एवं नियमावली
पी-एच.डी. प्रोग्राम
(पूर्णकालिक एवं अंशकालिक)

Information Brochure and Rules & Regulations
Ph.D. Programme
(Full Time and Part Time)

Research Entrance Test (RET)
and
Direct Admission (RET-Exempted)

2023-2024



गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सैक्शन-3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HARIDWAR

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

www.gkv.ac.in

IMPORTANT INFORMATION

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION

● 15.07.2023

APPLICATION FEE (Including entrance exam fee)

● Rs. 1500/- (Rs. 500/- for RET Exempted candidates)

DATE OF RESEARCH ENTRANCE TEST (RET)

● 30.07.2023

PROCESSING FEE (At the time of counseling)

● Rs. 1100/- (Non refundable)

SUBJECTS AVAILABLE FOR Ph.D. PROGRAMME

Code No.	Main Subjects
GKV-101 to GKV-127	<ul style="list-style-type: none">● GKV-101 Sanskrit● GKV- 103 Philosophy● GKV- 105 Hindi Literature● GKV- 107 Ancient Indian History, Culture & Archaeology● GKV- 108 Psychology● GKV- 110 Physics● GKV- 112 Mathematics● GKV- 114 Zoology● GKV- 116 Botany● GKV- 118 Physical Education*● GKV- 120 Applied Science (Chemistry)● GKV- 122 Computer Science & Engineering● GKV- 124 Pharmaceutical Sciences● GKV-127 Jyotirvigyan & Vedic Karmakand● GKV- 102 Vedic Literature● GKV-104 English● GKV- 106 Yogic Science*● GKV- 109 Management● GKV- 111 Chemistry● GKV- 113 Computer Science● GKV- 115 Environmental Science● GKV- 117 Microbiology● GKV- 119 Applied Science (Physics)● GKV- 121 Applied Science (Maths)● GKV- 123 Electronics & Comm. Engg.● GKV- 126 Economics*

* No seat is vacant in Yogic Science and Economics for the academic session 2023-24.

EXAMINATION CENTRES*

01 Haridwar

02 Dehradun

03 Delhi

* Examination center may be changed if the number of candidates are less.

- Date of upload of Answer Key on University website : 05 August 2023
- Last date of submission of objections (if any) : 16 August 2023 (By Registered/Speed Post only)

DATE OF DECLARATION & DISPLAY OF RESULT OF RET ON WEBSITE

● 25 August, 2023

NOTE :-

1. Admit Card shall be downloaded from University website only. Admit card will not be sent by post.
2. The result of RET and all information regarding admission shall be displayed on the notice board and University website. The list of selected candidates will be uploaded on the University website. **No information regarding this shall be sent by post.** Hence, the candidates are advised to be in touch with the website & the concerned department.
3. RET is only the eligibility test for Ph.D. course. The eligibility of the candidates will be valid for academic session 2023-24 only.
4. The candidates who have qualified the RET will be called for interview before the Departmental Research Committee (DRC). In the Interview the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before departmental research committee.

All information regarding Entrance Test (RET) & admission shall be displayed on the notice board and University website. The list of selected candidates will be uploaded on the University website. No information regarding this shall be sent by post.

www.gkv.ac.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

● 15.07.2023

आवेदन शुल्क (प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित)

● ₹0 1500/- (₹0 500/- RET से छूट वाले अभ्यर्थियों के लिये)

शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) की तिथि

● 30.07.2023

प्रोसेसिंग शुल्क (काउंसलिंग के समय)

● ₹0 1100/- (नॉन रिफंडेबल)

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध विषय

कोड संख्या	मुख्य विषय
GKV- 101 से GKV- 127	<ul style="list-style-type: none"> ● GKV-101 संस्कृत ● GKV-103 दर्शन ● GKV-105 हिन्दी साहित्य ● GKV-107 प्रा0भा0 इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व ● GKV-108 मनोविज्ञान ● GKV-110 भौतिकी ● GKV-112 गणित ● GKV-114 जन्तु विज्ञान ● GKV-116 वनस्पति विज्ञान ● GKV-118 शारीरिक शिक्षा ● GKV-120 एप्लाइड साइंस (रसायन विज्ञान) ● GKV-122 कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ● GKV-124 फार्मास्युटिकल साइंसेस ● GKV-127 ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकाण्ड ● GKV-102 वैदिक साहित्य ● GKV-104 अंग्रेजी ● GKV-106 योग विज्ञान* ● GKV-109 प्रबन्धन ● GKV-111 रसायन ● GKV-113 कम्प्यूटर विज्ञान ● GKV-115 पर्यावरण विज्ञान ● GKV-117 माइक्रोबायोलॉजी ● GKV-119 एप्लाइड साइंस (भौतिकी) ● GKV-121 एप्लाइड साइंस (गणित) ● GKV-123 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजी. ● GKV-126 अर्थशास्त्र*

*नोट: सत्र 2023-24 के लिये योग विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में कोई सीट रिक्त नहीं है।

प्रवेश परीक्षा केन्द्र* – 01 हरिद्वार 02 देहरादून 03 दिल्ली

*अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।

● विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड करने की तिथि : 05 अगस्त 2023

● प्रतिवेदन/आपत्तियां (यदि कोई हो) दर्ज करने की अंतिम तिथि : 16 अगस्त 2023 (केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा)

शोध प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने की तिथि

● 25 अगस्त 2023

नोट:-

1. अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र समविश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। किसी भी अवस्था में प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।
2. प्रवेश परीक्षा परिणाम तथा प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ समविश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची समविश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध की जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। अतः अभ्यर्थी वेबसाइट एवं सम्बन्धित विभागों के सम्पर्क में रहें।
3. शोध प्रवेश परीक्षा (RET) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिए एक पात्रता परीक्षा मात्र है। अभ्यर्थियों की अर्हता केवल इसी सत्र 2023-24 के लिए ही मान्य होगी।
4. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की रुचि/क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित विषय में वह सीट रिक्त मानी जायेगी।

प्रवेश परीक्षा (RET) तथा प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ समविश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध की जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी।

www.gkv.ac.in

DETAILS OF NO. OF SEATS AVAILABLE IN DIFFERENT SUBJECTS/DISCIPLINES OF Ph.D. (2023-24)

Following main subjects / disciplines are available in the various faculties of the University in which Ph.D. Degree shall be awarded. A candidate is permitted to apply for more than one subject :-

Table- 1: Main Subjects / Disciplines

Code No.	Main subjects / disciplines	Allied subjects / disciplines	No. of seats *
GKV-101	Sanskrit	Ved, Vyakaran, Sahitya, Dharmshastra	04
GKV-102	Vedic Literature	Sanskrit, Philosophy, Yoga, Ayurved, Jyotish & Karmkand, Ved, Vyakaran, Dharmashastra or any other branch of Veda	04
GKV-103	Philosophy	Ved, Sanskrit, Yoga, Sankhya, Nyaya, Meemansa, Vedanta, Nyaya -Vaisheshika, Sankhya-yoga, Baudhdh, Jain, Dharmashastra or any other branch of Philosophy	02
GKV-104	English	-	05
GKV-105	Hindi Literature	Linguistics, Hindi Journalism & Mass Communication	01
GKV-106	Yogic Science	Philosophy, Psychology, Sankhya-yoga	-
GKV-107	Ancient Indian History, Culture and Archaeology	-	08
GKV-108	Psychology	Management, Physical Education, Medical Sciences, Home Science, Sociology, Yogic Science, Psychiatry, Education, Anthropology, Social work (MSW), Forensic Science/Psychology, Nursing	02
GKV-109	Management	Commerce, Economics, Psychology (Organisational Behaviour/Industrial Psychology)	07
GKV-110	Physics	Electronics, Electronics and Communication, Atmospheric Physics, Astro Physics, Material Science	05
GKV-111	Chemistry	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Medicinal Chemistry, Phytochemistry, Pharmaceutical Chemistry, Environmental Science/Chemistry, Industrial Chemistry, Forensic Science/ Chemistry, Archaeochemistry, Biochemistry	31
GKV-112	Mathematics	Statistics, Operation Research, Industrial Mathematics	07
GKV-113	Computer Science	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	49
GKV-114	Zoology	Life Science, Animal Science, Fish and Fisheries, Entomology, Applied Zoology, Aquatic Biology	12
GKV-115	Environmental Science	Biotechnology, Agriculture, Forestry, Wildlife Science, Remote Sensing, Environmental Chemistry, .	
GKV-116	Botany	Biochemistry, Plant Pathology	09
GKV-117	Microbiology	Biotechnology	
GKV-118	Physical Education	Psychology, Medical Science, Yogic Science	01

* Number of seats may vary

Table- 1: Main Subjects / Disciplines

Code No.	Main subjects / disciplines	Allied subjects / disciplines	No. of seats *
GKV-119	Applied Science (Physics)	Physics, Electronics, Atmospheric Physics, Astro Physics, Material Science	08
GKV-120	Applied Science (Chemistry)	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Pharmaceutical Chemistry	10
GKV-121	Applied Science (Mathematics)	Mathematics, Statistics, Operation Research Industrial Mathematics	04
GKV-122	Computer Science & Engineering	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	08
GKV-123	Electronics & Communication Engineering	Electronics & Telecommunication, Industrial Electronics, Microwave Engg., VLSI, Instrumentation, Solid state Electronics, Biomedical Electronics, Instrumentation and Control, Embedded Systems.	07
GKV-124	Pharmaceutical Sciences	Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics, Pharmacology	04
GKV-126	Economics	Management, Commerce	-
GKV-127	Jyotirvigyan & Vedic Karmakand	Jyotish, Dharmshastra	03

*No. of seats may vary

Note

- Qualifying marks in the entrance test shall be 50% (along with minimum marks in each section as prescribed in the rules and regulations for Ph.D.), provided that a relaxation of 5% of marks (from 50% to 45%) shall be allowed for candidates belonging to SC/ST/OBC (Non-creamy layers)/ Differently-abled category/Staffward of GK (DU) in the research entrance test conducted by the university. An interview/viva-voce shall be conducted wherein the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted departmental research committee (DRC).
- Provided that for the selection of candidates based on the RET weightage of 70% for entrance test and 30% for the performance in the interview/viva-voce shall be given.

CONTACT NUMBERS CO-ORDINATORS / DEANS / HEAD OF DEPARTMENTS

CO-ORDINATOR / DEAN

S.No	Name	Campus/Faculty	Contact No.
1.	Prof. Suchitra Malik	Co-ordinator, KGC Haridwar	9411731310
2.	Prof. Renu Shukla	Co-ordinator, KGC Dehradun	9412174170
3.	Prof. Parbhat Kumar	Oriental Studies	9690922000
4.	Prof. Ambuj Kumar Sharma	Humanities	9319023424
5.	Prof. Vivek Kumar	Science	9837202304
6.	Prof. Vipul Sharma	Engg. & Technology	9760758291
7.	Prof. D.S. Malik	Life Science	9897887165
8.	Prof. V.K. Singh	Management	7500133344
9.	Prof. R.C. Dubey	Medical Science & Health	9412157616
10.	Prof. Surendra Kumar	Yoga & Physical Education	7300761306
11.	Prof. Brahm Dev	Education & Training	9412307123

HEAD OF DEPARTMENTS

1.	Prof. Parbhat Kumar (Ex. Officio)	Veda	9690922000
2.	Prof. Brahm Dev	Sanskrit	9412307123
3.	Prof. Prabhat Kumar	A.I. History Culture & Archaeology	9690922000
4.	Prof. Surendra Kumar	Yogic Science	7300761306
5.	Prof. Parbhat Kumar (Ex. Officio)	Philosophy	9690922000
6.	Prof. Rakesh Kumar	Psychology	7300761287
7.	Prof. Ambuj Kumar Sharma	English	9319023424
8.	Prof. Ambuj Kumar Sharma (Ex. Officio)	Hindi	9319023424
9.	Dr. Pawan Kumar	Physics	9410560660
10.	Dr. R.K. Shukla	Chemistry	9897700557
11.	Dr. Manoj Kumar	Mathematics & Statistics	8755386009
12.	Prof. Vivek Kumar	Computer Science	9837202304
13.	Prof. Navneet	Botany and Microbiology	7300761327
14.	Prof. D.S. Malik	Zoology and Environmental Science	9897887165
15.	Dr. Ajay Malik (Incharge)	Physical Education & Sports	9897238225
16.	Prof. V.K. Singh	Management Studies	7500133344
17.	Dr. Vipin Kumar (Incharge)	Pharmaceutical Science	9759331509
18.	Prof. Ramprakash Varnee	Shardhanand Vedic Shodh Sansthan	9457055342
19.	Prof. Vipul Sharma	Electronics & Comm. Engg.	9760758291
20.	Prof. Mayank Agarwal	Computer Science & Engg.	7300761144
21.	Prof. Vipul Sharma (Ex. Officio)	Electrical Engg.	9760758291
22.	Prof. Vipul Sharma (Ex. Officio)	Mechanical Engg.	9760758291
23.	Dr. M.M. Tiwari	Applied Sciences	7300761272
24.	Prof. Parbhat Kumar (Ex. Officio)	Jyotirvigyan & Vedic Karmkand	9690922000



रैगिंग - एक दण्डनीय अपराध

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यदि रैगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा से स्पष्टीकरण देने को कहा जायेगा और यदि उसका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

Ragging - A Crime Liable to Punishment

Ragging is totally banned in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. As per direction of Hon'ble Supreme Court of India, if any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain and if his/her explanation is not found satisfactory, the authority would expel him/her from the University.

e-Samadhaan / Anti Ragging

24x7 Helpline Number
1800-180-5522 (Toll Free)



A Step Forward: Service to Stakeholders

Ragging-Free Campus



WARNING
Ragging is a crime

SAY NO TO RAGGING



महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में छात्र कल्याण परिषद का चुनाव प्रतिबंधित है। छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

Important Information

It is hereby informed that the election of Student Welfare Association in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is banned. For the redressal of student's grievances the Student Grievance Redressal Cells have been established in the Deemed University as per the guidelines of UGC.

विषय सूची

CONTENTS

विश्वविद्यालय एक परिचय (THE VISHWAVIDYALAYA - AN INTRODUCTION)	1
प्रबन्ध व्यवस्था (MANAGEMENT)	2
अध्ययनोपयोगी सुविधायें (FACILITIES FOR STUDIES)	3
अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ (RESEARCH SCHOLARSHIP)	5
आरक्षण वर्ग (RESERVATION CATEGORY)	5
प्रवेश प्रक्रिया (ADMISSION CRITERIA)	7
अर्हताएँ (ELIGIBILITY)	7
विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची (LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF DISCUSSION IN THE DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE)	11
नियम-उपनियम (RULES & REGULATIONS)	13
प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची (LIST OF FACULTY MEMBERS)	36
अनुशासन समिति (PROCTORIAL BOARD)	40
छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर एवं शिकायत प्रकोष्ठ/समान अवसर प्रकोष्ठ/महिला सशक्ति प्रकोष्ठ (STUDENT COUNSELING CENTRE & GRIEVANCE CELL/EQUAL OPPORTUNITY CELL/WOMEN EMPOWERMENT CELL)	42
एन्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एन्टी रैगिंग समिति (ANTI RAGGING SQUAD AND ANTI RAGGING COMMITTEE)	43
आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ (INTERNAL COMPLAINT CELL)	44
अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (RESEARCH AND DEVELOPMENT CELL)	44
एकेडमिक कैलेंडर (ACADEMIC CALENDER)	45
शुल्क तालिका-I : पूर्णकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (FEE STRUCTURE-I : FULL TIME Ph.D. PROGRAMME)	46
शुल्क तालिका-II : अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम (FEE STRUCTURE-II : PART TIME Ph.D. PROGRAMME)	47
अन्य मदों में लिया जाने वाला शुल्क (FEE TO BE CHARGES UNDER OTHER HEADS)	48

Establishment and Objectives

Gurukula Kangri (Deemed to be University) was established in 1902 by the martyr Swami Shraddhanandji Maharaj. The University was established to provide an option of imparting education in the national language, discouraging English medium of education in India based on the western education policy of Lord Macaulay. It aimed at creating a viable environment for students for higher learning and research in the areas of Vedic literature, Indian philosophy, Indian culture and literature and modern subjects.

Since its inception, the Arya Samaj has been advocating women education. In order to shape this dream, the Kanya Gurukula Mahavidyalaya (K.G.M.) Dehradun was established in 1923 by Late Acharya Ramdevji. Later the Kanya Gurukula Mahavidyalaya, Haridwar was also established in 1993 for Post Graduate Classes. The basic task before the Vishwavidyalaya is to enhance the physical, moral and intellectual strength of both girls and boys and thus to make them ideal citizens, by giving them education of ancient and modern subjects, without any discrimination of caste and creed and untouchability on the pattern of Gurukula system of education which emphasizes healthy and harmonious teacher - taught relationship. The Vishwavidyalaya is situated about 5 km in south from Haridwar Railway Station.

Recognizing the objectives and services of this institution, Government of India in June 1962 conferred on it the status of "Deemed to be University" under UGC Act of 1956, Article 3, for imparting education in Vedic literature, Sanskrit literature, Indian philosophy, Hindi literature, English literature, Psychology, Maths and Ancient Indian History Culture & Archaeology; and a number of modern subjects like Physics, Chemistry, Computer Science, Microbiology, Zoology & Environmental Science, Engineering, Ayurvedic Science, Yogic Science, Management Studies, Physical Education, Pharmaceutical Science etc. have also been started. University has been accredited third time by National Assessment & Accreditation Council (NAAC). Needless to say that all the degrees conferred by the University are recognised by the Govt. of India/University Grants Commission. This University is a member of the Association of Indian Universities (A.I.U.) and Association of Commonwealth Universities.

स्थापना एवं उद्देश्य

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सन् 1902 में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) की स्थापना की थी। भारत में लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के स्थान पर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से वैदिक साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ-साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था।

आर्यसमाज अपने स्थापना के समय से ही स्त्री शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सन् 1923 में स्व० आचार्य श्री रामदेव जी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की थी तथा इसी परिप्रेक्ष्य में 1993 में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार की स्थापना स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए की गई। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआ-छूत के भेदभाव के बिना गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर छात्र-छात्राओं को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना है। विश्वविद्यालय हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

जून 1962 में भारत सरकार ने इस शिक्षण संस्था के राष्ट्रीय स्वरूप तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसके अप्रतिम योगदान को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत “डीम्ड यूनिवर्सिटी” की मान्यता प्रदान की और विज्ञान एवं कला विषयों में स्नातक तथा वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गणित तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त वर्तमान में विश्वविद्यालय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, योग विज्ञान, प्रबंधन व शारीरिक शिक्षा इत्यादि के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान विश्वविद्यालय तीसरी बार ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्’ (NAAC) द्वारा मूल्यांकित एवं प्रत्यायनित किया गया है। विश्वविद्यालय की सभी उपाधियां भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य हैं। यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) तथा कामनवैल्थ विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है।

MANAGEMENT

Gurukula Kangri (Deemed to be University) is a registered autonomous body. As per the Memorandum of Association (MOA)/ Constitution of the University, it is administered by the following authorities and officers.

Authorities

1. Board of Management
2. Academic Council
3. Finance Committee

Officers

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Chancellor | Dr. Satya Pal Singh |
| 2. Vice-Chancellor | Prof. Somdev Shatanshu |
| 3. Registrar | Prof. Sunil Kumar |
| 4. Controller of Examinations | Prof. Rakesh Kumar |
| 5. Finance Officer | Prof. Devendra Kumar Gupta |
| 6. Director, IQAC | Prof. Vivek Kumar |
| 7. Dean, Faculty of Oriental Studies | Prof. Parbhat Kumar |
| 8. Dean, Faculty of Humanities | Prof. Ambuj Kumar Sharma |
| 9. Dean, Faculty of Science | Prof. Vivek Kumar |
| 10. Dean, Faculty of Life Science | Prof. D.S. Malik |
| 11. Dean, Faculty of Mgt. Studies | Prof. V.K. Singh |
| 12. Dean, Faculty of Engg. & Tech. | Prof. Vipul Sharma |
| 13. Dean, Faculty of Med. Sci. & Health | Prof. R.C. Dubey |
| 14. Dean, Faculty of Yoga & Phy. Edu. | Prof. Surendra Kumar |
| 15. Dean, Faculty of Education & Training | Prof. Brahm Dev |
| 16. Dean, Student Welfare | Dr. Arun Kumar |
| 17. Dean, Research | Prof. R.C. Dubey |
| 18. Dean, Academic Affairs & Academic Audit | Prof. Navneet |
| 19. Dean, Green Audit | Prof. D.S. Malik |
| 20. Dean, Cultural Affairs | Prof. Ambuj Kumar Sharma |
| 21. Director, Admission Process | Prof. L.P. Purohit |
| 22. Co-ordinator, KGC, Haridwar | Prof. Suchitra Malik |
| 23. Co-ordinator, KGC, Dehradun | Prof. Renu Shukla |
| 24. Head, Ved Deptt. | Prof. Parbhat Kumar |
| 25. Head, Sanskrit Deptt. | Prof. Brahm Dev |
| 26. Head Philosophy Deptt. | Prof. Prabhat Kumar |
| 27. Head, English Deptt. | Prof. Ambuj Kumar Sharma |
| 28. Head, Hindi Deptt. | Prof. Ambuj Kumar Sharma |
| 29. Head, Psychology Deptt. | Prof. Rakesh Kumar |
| 30. Head, A.I. History, Cult. & Arch. Deptt. | Prof. Prabhat Kumar |
| 31. Head, Maths & Stat. Deptt. | Dr. Manoj Kumar |
| 32. Head, Chemistry Deptt. | Dr. R.K. Shukla |
| 33. Head, Physics Deptt. | Dr. Pawan Kumar |
| 34. Head, Botany & Microbiology Deptt. | Prof. Navneet |
| 35. Head, Zoology & Env. Sc. Deptt. | Prof. D.S. Malik |
| 36. Head, Computer Science Deptt. | Prof. Vivek Kumar |
| 37. Head, Yogic Science Deptt. | Prof. Surendra Kumar |
| 38. Head, Management Studies Deptt. | Prof. V.K. Singh |
| 39. Head, Sharddhanand Vedic Res. Center | Prof. Ramprakash Varnee |
| 40. Head, Jyotirvigyan & Vedic Karmkand | Prof. Prabhat Kumar |
| 41. Incharge, Pharmaceutical Sc. Deptt. | Dr. Vipin Kumar |
| 42. Professor Incharge, Central Library | Prof. Devendra Kumar Gupta |

प्रबन्ध व्यवस्था

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। समविश्वविद्यालय के एम.ओ.ए./संविधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था निम्न प्राधिकारियों तथा अधिकारी संवर्ग द्वारा संचालित है।

प्राधिकारी

1. प्रबन्ध मण्डल
2. शिक्षा पटल
3. वित्त समिति

अधिकारी वर्ग

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. कुलधिपति | डा. सत्यपाल सिंह |
| 2. कुलपति | प्रो. सोमदेव शतांशु |
| 3. कुलसचिव | प्रो. सुनील कुमार |
| 4. परीक्षा नियंत्रक | प्रो. राकेश कुमार |
| 5. वित्ताधिकारी | प्रो. देवेंद्र कुमार गुप्ता |
| 6. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ | प्रो. विवेक कुमार |
| 7. डीन, प्राच्य विद्या संकाय | प्रो. प्रभात कुमार |
| 8. डीन, मानविकी संकाय | प्रो. अम्बुज कुमार शर्मा |
| 9. डीन, विज्ञान संकाय | प्रो. विवेक कुमार |
| 10. डीन, जीव विज्ञान संकाय | प्रो. डी.एस. मलिक |
| 11. डीन, प्रबन्ध अध्ययन संकाय | प्रो. वी.के. सिंह |
| 12. डीन, अभि. एवं प्रौद्यो. संकाय | प्रो. विपुल शर्मा |
| 13. डीन, आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय | प्रो. आर.सी. दुबे |
| 14. डीन, योग एवं शारीरिक शिक्षा संकाय | प्रो. सुरेन्द्र कुमार |
| 15. डीन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय | प्रो. ब्रह्मदेव |
| 16. डीन, छात्र कल्याण | डा. अरूण कुमार |
| 17. डीन, रिसर्च | प्रो. आर.सी. दुबे |
| 18. डीन, एकेडेमिक अफेयर्स एवं एकेडेमिक ऑडिट | प्रो. नवनीत |
| 19. डीन, ग्रीन ऑडिट | प्रो. डी.एस. मलिक |
| 20. डीन, कल्चरल अफेयर्स | प्रो. अम्बुज कुमार शर्मा |
| 21. निदेशक, प्रवेश प्रक्रिया | प्रो. एल.पी. पुरोहित |
| 22. कोऑर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार | प्रो. सुचित्रा मलिक |
| 23. कोऑर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून | प्रो. रेनू शुक्ला |
| 24. अध्यक्ष, वेद विभाग | प्रो. प्रभात कुमार |
| 25. अध्यक्ष, संस्कृत विभाग | प्रो. ब्रह्मदेव |
| 26. अध्यक्ष, दर्शन विभाग | प्रो. प्रभात कुमार |
| 27. अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग | प्रो. अंबुज कुमार शर्मा |
| 28. अध्यक्ष, हिंदी विभाग | प्रो. अंबुज कुमार शर्मा |
| 29. अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग | प्रो. राकेश कुमार |
| 30. अध्यक्ष, प्रा. भा. इति. संस्कृति एवं पुरा.विभाग | प्रो. प्रभात कुमार |
| 31. अध्यक्ष, गणित एवं सांख्यिकी विभाग | डॉ. मनोज कुमार |
| 32. अध्यक्ष, रसायन विभाग | डॉ. आर.के. शुक्ला |
| 33. अध्यक्ष, भौतिकी विभाग | डॉ. पवन कुमार |
| 34. अध्यक्ष, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग | प्रो. नवनीत |
| 35. अध्यक्ष, जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग | प्रो. डी.एस. मलिक |
| 36. अध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग | प्रो. विवेक कुमार |
| 37. अध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग | प्रो. सुरेन्द्र कुमार |
| 38. अध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग | प्रो. वी.के. सिंह |
| 39. अध्यक्ष, श्रद्धानंद वैदिक शोध केन्द्र | प्रो. रामप्रकाश वर्णी |
| 40. अध्यक्ष, ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकांड | प्रो. प्रभात कुमार |
| 41. प्रभारी, भेषज विज्ञान विभाग | डॉ० विपिन कुमार |
| 42. प्रोफेसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय | प्रो. देवेंद्र कुमार गुप्ता |

43. Professor Inc., Corp. Aff. & Outreach Cell	Prof. Pankaj Madan
44. Chief Proctor	Prof. Brahmddev
45. Head, Elect. & Commn. Engg. Deptt.	Prof. Vipul Sharma
46. Head, Comp. Sc. & Engg. Deptt.	Prof. Mayank Agarwal
47. Head, Applied Sciences Deptt.	Dr. M.M. Tiwari
48. Incharge, Physical Edu. & Sports Deptt.	Dr. Ajay Malik
49. Public Relation Officer	Dr. Pankaj Kaushik

FACILITIES FOR STUDIES

THE LIBRARY

The University-Library has its own history which begins with the foundation of this institution. This library, which has completed its more than 121 years, is a rich depository of thousands of ancient manuscripts and rare books. It is equipped with more than 2 Lakh books on Vedic literature, Sanskrit, Indian Philosophy, Aryan literature, Comparative Studies, Science, Management and Technology. University library comprises a rich collection of Vedic & Sanskrit literature, Indian philosophy, Aryan literature, Ancient history & culture together with leading modern subjects. Besides this main library, there are departmental libraries also to facilitate the P.G. students adequately. The Kanya Gurukula Campus, Dehradun and the Kanya Gurukula Campus, Haridwar also have their independent libraries which are equipped with adequate number of books. Around 32 Journals, 6000 e-Journals and 250 rare manuscripts of different subjects are available in the library by computer networking under U.G.C. E-Shodh-Sindhu programme. Faculty of Engineering & Technology and Faculty of Medical Sciences & Health also have their own rich library also.

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

The University is embellished with an archaeological museum, which possesses a valuable collection of coins, paintings, sculptures and arms.

N.C.C.

The University has NCC programme to train the students for maintaining discipline and national security.

N.S.S.

In order to develop and help the rural areas, the University has Four units of NSS at undergraduate level aided by the Central & State Governments.

PHYSICAL EDUCATION

In order to develop and enhance physical and mental strength of the students, University has a full-fledged Physical Education & Sports Department along with the facilities of outdoor and indoor games. There are also the facilities like multigym with latest machines, computer lab, sports psychology lab, kinesiology lab and departmental library. The Kanya Gurukula Campus provides facilities of physical education independently to the girls.

43. प्रोफेसर इंचार्ज, को. अफे. एवं आउटरीच सेल प्रो. पंकज मदान	
44. मुख्य अनुशासन अधिकारी	प्रो. ब्रह्मदेव
45. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनि. इंजी. विभाग प्रो. विपुल शर्मा	
46. अध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजी. विभाग प्रो. मयंक अग्रवाल	
47. अध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग	डा. एम.एम. तिवारी
48. प्रभारी, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग	डा. अजय मलिक
49. जनसंपर्क अधिकारी	डा. पंकज कौशिक

अध्ययनोपयोगी सुविधाएं

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय-पुस्तकालय का इतिहास भी गुरुकुल की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ होता है। निरन्तर 121 वर्षों से भी अधिक पोषित यह पुस्तकालय आज वेद, वेदांग, संस्कृत, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, तुलनात्मक धर्म एवं मानवीय ज्ञान, विज्ञान, प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी की विविध शाखाओं पर प्रकाश डालने वाले 2 लाख से अधिक ग्रन्थों से अलंकृत है। सहस्रों दुर्लभ ग्रन्थों एवं अनेक अप्राप्य पत्रिकाओं से समृद्ध यह पुस्तकालय आर्य संस्कृति की धरोहर के रूप में विश्वविख्यात है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय वैदिक एवं संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा आधुनिक विषयों में भी अपने समृद्ध संग्रह के कारण देशव्यापी ख्याति प्राप्त पुस्तकालयों में से है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु विभागीय पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था है। कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में अलग पुस्तकालय की व्यवस्था है जिनमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-शोध सिन्धु प्रोग्राम के अन्तर्गत पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 32 अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं, 6000 इ-जर्नल एवं 250 दुर्लभ पाण्डुलिपियां कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय तथा आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय के भी अपने-अपने समृद्ध पुस्तकालय हैं।

पुरातत्त्व संग्रहालय

विश्वविद्यालय का संग्रहालय अत्यन्त प्राचीन काल के कला अवशेषों, शस्त्रों व सिक्कों आदि से सुसज्जित है।

एन.सी.सी.

अनुशासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एन. सी. सी. की सुविधा उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

स्नातक स्तर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार यूनिट हैं जो ग्रामीण अंचल के विकास में सतत् कार्यरत हैं।

शारीरिक शिक्षा

विश्वविद्यालय में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय में आन्तरिक एवं बाह्य खेलों के लिए विस्तृत मैदान तथा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में आधुनिकतम मशीनों से युक्त व्यायामशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला, किन्सयोलॉजी प्रयोगशाला एवं विभागीय पुस्तकालय की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कन्या गुरुकुल परिसरों में शारीरिक शिक्षा की सुविधा छात्राओं के लिए अलग से उपलब्ध है।

LIFE LONG EDUCATION

Under Life Long Education various Vocational Training Programme, Short Term Training & Orientation program in rural and urban areas are conducted by the Vishwavidyalaya

COMPUTER CENTRE

U.G.C. aided computer centre was established in the Vishwavidyalaya in the academic year 1987-88. This centre is actively engaged in imparting computer education to the students besides making the activities of the Vishwavidyalaya computerised. Internet facility is also available at the computer centre. The various departments of the Vishwavidyalaya and those of the Kanya Gurukula Campus Haridwar and Dehradun have also their own computer labs with computer systems based on modern technology in order to cater to the needs of the students.

V SAT

V SAT sanctioned under UGC-INFONET programme has been established in the computer centre. Internet facility is provided in the computer centre through V SAT.

HOSTEL

Limited hostel facility is available at main campus of the Vishwavidyalaya and Kanya Gurukula Campus, Dehradun.

- Hostel Annual Charges (Gen./OBC) Rs.20000/-
- Hostel Annual Charges (SC/ST/PWD) Rs.15000/-
- Security Rs.3000/-
- Food charges on actual basis

- Note :-** 1. Reservation for the students belonging to SC/ST Categories in allotment of seats in hostels is given as per the reservation policy of the Govt. of India.
2. Kanya Gurukula Campus, Haridwar does not have hostel facility. However, assistance would be given to the students with regard to their stay on actual payment basis.

CORPORATE AFFAIRS AND OUTREACH CELL

Corporate affairs and outreach cell is established in the University. This cell provides platform to organize campus interviews for the students of various courses by inviting reputed companies. However, the cell has no responsibility to recruit them in the companies. It is to be mentioned that for the last several years many students got employment in reputed companies through the placement cell.

आजीवन शिक्षा

आजीवन शिक्षा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण, लघु प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर केन्द्र

समविश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना सत्र 1987-88 में की गई थी। यह केन्द्र व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के पठन-पाठन व विश्वविद्यालय के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण में निरन्तर कार्यरत है। कम्प्यूटर केन्द्र में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों एवं कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून व हरिद्वार में छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिनमें आधुनिकतम तकनीक पर आधारित कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध हैं।

वी सेट

समविश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यू.जी.सी.-इन्फोनेट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत वी सेट की स्थापना कम्प्यूटर केन्द्र में की गयी है। वी सेट के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

छात्रावास

समविश्वविद्यालय के मुख्य परिसर व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है।

- छात्रावास व्यय वार्षिक ₹0 20000/-
(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त)
- छात्रावास व्यय वार्षिक ₹0 15000/-
(अनु.जाति/अनु.जनजाति)
- सुरक्षा धन ₹0 3000/-
- भोजन वास्तविक व्यय आधार पर

- नोट :-** 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रावासों के सीट आवंटन में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।
2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्राओं के निवास के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर व्यवस्था में सहायता की जाती है।

कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल

समविश्वविद्यालय में कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल स्थापित है। इस सेल द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों से सम्पर्क कर कैम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। अतः सेल का कार्य केवल विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठानों में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था कराना है। यह सेल किसी कम्पनी में छात्र/छात्राओं को नियुक्त कराने के लिये उत्तरदायी नहीं है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में अनेक छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठित कम्पनियों में प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

SCHEDULED CASTE/ SCHEDULED TRIBE CELL

The SC/ST cell has been established in the Vishwavidyalaya under xth plan. The main objectives of this cell are to implement the reservation policy of Government of India effectively and provide necessary assistance to the students belonging to SC/ST category in order to resolve their academic and administrative problems.

The SC/ST Cell may provide guidance to the students belonging to SC/ST/OBC/Minority Category for free Remedial Coaching in the University sponsored by UGC New Delhi.

EMPLOYMENT AND COUNSELING CENTRE

In order to furnish the students with the information of various courses, entrance examinations, scholarships etc. employment and counseling centre has been established by the employment assistance directorate of the state government. The centre in collaboration with the placement cells of the concerned Departments/Faculty and Kanya Gurukula Campus Haridwar/Dehradun help in providing the information about the job opportunities of training and employment to the students.

RESEARCH SCHOLARSHIPS

Research Fellowships are awarded as per norms of C.S.I.R./U.G.C. to those students who pass the NET examination conducted at all India level by the C.S.I.R. and the U.G.C.

RESERVATION

Reservation for the students belonging to Other Backward Class (OBC) Economically Weaker Section (EWS)/ Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Person with Disabilities (PWD) Categories is given as per the reservation policy of the Govt. of India.

RESERVATION CATEGORY

A : OBC	27% (Non-creamy layer)*
B : SC	15%
C : ST	7.5%
D : EWS	10% (Horizontal)
E : PWD 5% (Horizontal) (Person with Disabilities)	
F : Staff Ward (GKDU) [#]	20% (Horizontal)

[#]For Staff Ward of Gurukula Kangri (DU)

Note:-

1. For O.B.C. Category, Caste Certificate issued by the Govt. of India will be accepted only.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराना एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा पोषित निःशुल्क रेमेडियल कोचिंग के लिए छात्र/छात्राओं को मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकता है।

सेवा योजना एवं मंत्रणा केन्द्र

छात्रों को पठन-पाठन, विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं, छात्रवृत्ति आदि की समग्र जानकारी देने हेतु सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र प्रदेश सरकार के सेवा योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। यह केन्द्र सम्बन्धित विभागों के प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रकोष्ठों की सहायता से एवं कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार व देहरादून के विभागीय उपकेन्द्रों के सहयोग से छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।

अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (C.S.I.R.)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा (NET) में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पी-एच. डी. करने के लिए परिषद्/अनुदान आयोग के नियमानुसार अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।

आरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।

आरक्षण वर्ग

A : अन्य पिछड़ा वर्ग	27% (नॉन क्रीमीलेयर)*
B : अनुसूचित जाति	15%
C : अनुसूचित जनजाति	7.5%
D : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10% (क्षैतिज)
E : दिव्यांग	5% (क्षैतिज)
F : स्टाफ वार्ड (गु.का.स.वि.) [#]	20% (क्षैतिज)

[#] गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के स्टाफ वार्ड के लिये

नोट:-

1. अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए केवल भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2. Reservation category A,D, E & F seats, if vacant, may be filled amongst general category candidates.

Reservation for Other Backward Class (OBC) category shall be given as per The Central Educational Institution (Reservation in Admission) Act, 2006 No. 5 of 2007. The OBCs who are eligible for availing the benefits of reservation should be from the central list of Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) / Other Backward Classes (OBCs) as per Resolution No. 12011/68/93 DCC (C) of the Ministry of Welfare (now the Ministry of Social Justice and Empowerment) as modified from time to time and the rules/criteria of exclusion of socially advanced persons/sections. For an updated list of state-wise OBCs eligible for availing benefits of reservation, see the list mentioned by the National Commission for Backward Classes (NCBC) at its website : <http://ncbc.nic.in>.

*Candidates belonging to "**creamy layer**" (As per the resolution No. 1-1/200 5-V, 1A/846 dated 20th April, 2008 of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education and amended from time to time), shall not be entitled to avail the benefit of reservation for OBCs.

2. आरक्षण वर्ग A,D, E एवं F की सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।

अन्यपिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में आरक्षण केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) एक्ट, 2006 सं. 5ए जनवरी 2007 के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जो कि रेजल्यूशन नं० 12011/68/93 DCC (C) कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण) के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs)/अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs) की केन्द्रीय सूची एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों तथा सामाजिक रूप से अगड़े (सम्पन्न) व्यक्ति/वर्ग को इससे अपवर्जित करने हेतु दिये गये नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार ही आरक्षण के पात्र होंगे। राज्यवार अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की नवीनतम सूची के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) की वेबसाइट : <http://ncbc.nic.in> का अवलोकन करें।

***क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत (रेजल्यूशन नं० 1-1/200 5-V, 1A/846 dated 20th April, 2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों सहित) आने वाले अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

ADMISSION CRITERIA (Full Time/Part-Time Ph.D. Programme)

HOW TO APPLY

Information Brochure and Rules & Regulations for Research Entrance Test (RET)/Direct Admission (RET Exempted) for admission to Ph.D. programme (Full time/Part time) can be obtained from the office of **Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**, Haridwar by paying **Rs. 150/-** or by sending a demand draft of **Rs.150/-** to **Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**, Haridwar. Application form shall be filled online from **website:www.gkv.ac.in**

The candidates appearing in the final year of qualifying examination are also eligible to apply. Such candidates will have to submit compulsorily their complete final result of qualifying examination up to **30 November, 2023** failing which their candidature shall stand cancelled.

ADMISSION PROCEDURE

Admissions and registration to programmes leading to Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in various subjects/ disciplines (Table-1) shall be done as per UGC norms and as approved by the Academic Council of the University from time to time. The admission to the said programme shall be (i) through Research Entrance Test (RET) conducted by the University (ii) Direct admission without appearing in RET.

The Ph.D. programme will be allowed in those subjects in which permission were given by the University Grants Commission, New Delhi/Academic Council of GK (DU) will continue. The subjects approved by Academic Council for Ph.D. programme shall be covered by these rules and regulations.

No. of seats in each subject has been shown in table-1.

ELIGIBILITY

1. Candidates who have completed 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed **or** Equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to

प्रवेश प्रक्रिया

(पूर्णकालिक/अंशकालिक पी-एच.डी प्रोग्राम)

आवेदन कैसे करें

पी-एच.डी. प्रोग्राम (पूर्णकालिक/अंशकालिक) में प्रवेश हेतु शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) अथवा सीधे प्रवेश (आर.ई.टी. से छूट) के लिए विवरणिका एवं नियमावली **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)** हरिद्वार के कार्यालय से **रु. 150/-** के भुगतान पर अथवा **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)** के पक्ष में **हरिद्वार** में देय **रु. 150/-** का डिमान्ड ड्राफ्ट **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार** को डाक द्वारा भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र **website: www.gkv.ac.in** से ऑनलाइन भरे जायेंगे।

अंतिम वर्ष की अर्हता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अर्हता परीक्षा का अन्तिम पूर्ण परीक्षा परिणाम **30 नवम्बर 2023** तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसके अभाव में उसकी पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

प्रवेश विधि

विभिन्न विषयों (सारणी-1) में पी-एच.डी. डिग्री के लिये पंजीयन तथा प्रवेश समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार एवं समविश्वविद्यालय की शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृति नियमों से किये जायेंगे। पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश (i) समविश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शोध प्रवेश परीक्षा द्वारा (ii) शोध प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुये बिना सीधे प्रवेश से किये जायेंगे।

पी-एच.डी. प्रोग्राम की अनुमति केवल उन्हीं विषयों में होगी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार की शिक्षा पटल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृत विषय इन नियम-उपनियमों के अधीन होंगे।

प्रत्येक विषय में पी-एच. डी. के लिये रिक्त सीटों की संख्या सारणी-1 में दर्शायी गयी है।

अर्हताएँ

1. वे अभ्यर्थी जिन्होंने 4 वर्षीय/ 8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्ष/ 2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/ 4-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएँ, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है **अथवा** एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन

assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled/ Economically Weaker Section (EWS)/Staff Ward (SW) of Gurukula Kangri (DU).

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled/ Economically Weaker Section (EWS)/Staff Ward (SW) of Gurukula Kangri (DU).

2. Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme.

Note:-

- (i) A candidate holding Acharya Degree in allied subjects which are given in Table-1 with atleast 55% marks in aggregate from a recognised University/Institution shall also be eligible for registration in Ph.D. degree in Veda, Sanskrit, Philosophy, Jyotrivigyan & Yoga subjects.
- (ii) Candidate must check carefully and ensure that he/she fulfills the minimum eligibility mentioned in the Information Broucher and Rules & Regulations before submitting the application form. If the candidate's eligibility is found incomplete/incorrect at any stage during admission process and after admission, his/her admission will be cancelled for which he/she will be solely responsible.

एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्याय हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) / दिव्यांग व्यक्ति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस) / गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के स्टॉफ वार्ड को 5 प्रतिशत अकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4-वर्षीय / 8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) / दिव्यांग व्यक्ति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस) / गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के स्टॉफ वार्ड को 5 प्रतिशत अकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

2. एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55 प्रतिशत अकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी (ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन, प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच. डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

नोट:-

- (i) वेद, संस्कृत, दर्शन, ज्योतिर्विज्ञान एवं योग विषयों में पी-एच. डी. उपाधि में पंजीयन हेतु वे अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से आचार्य की उपाधि उन एलाइड विषयों के साथ न्यूनतम 55% अकों सहित उत्तीर्ण की हो जो सारिणी-1 में दिये गये हैं।
- (ii) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता की सावधानी पूर्वक जाँच कर सुनिश्चित कर लें कि वे विवरणिका एवं नियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तथा प्रवेश के उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की अर्हता अपूर्ण / असत्य पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

Registration of the candidate for Ph.D. programme shall be as follows:-

University shall admit candidates by a two stage process:

- (i) Through Research Entrance Test (RET)
- (ii) By Direct Admission (without appearing in RET)

An Entrance Test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The Entrance Test shall consist of 50 questions from the syllabus of research methodology and 50 questions shall be subject specific.

● **Research Entrance Test (RET)**

A candidate possessing the minimum qualifications with the requisite percentage of marks shall be eligible to appear in the research entrance test.

Max. Marks of Examination : 100 Marks

Duration of Examination : 2 hrs

The Entrance Examination question paper will have following two sections :

Section-A Research Methodology & Research Aptitude (50 Questions)

Section-B Main Subject (50 Questions)

Mode: Objective / multiple - choice type questions

The Qualifying marks for the research entrance test (RET) is 50%. A candidate will have to score 40% marks in section-A & Section-B each, but overall 50% marks to qualify the entrance test. However, for SC/ST/OBC/PWD/ Staff Ward of GK(DU) candidates minimum qualifying percentage of marks shall be 45%.

Note :-

- (i) The question paper shall contain 50 questions from the syllabus of research methodology and 50 questions from the subject concerned and each question shall carry one mark.
- (ii) Questions shall be set uniformly from each unit of the prescribed syllabus.
- (iii) No scrutiny / re-evaluation of the answer books of the written test shall be allowed in any case.
- (iv) There shall not be any negative marking.

Admission to the Ph.D. programme in each subject shall be made against the available seats in the concerned subject. While granting admission to the candidate for Ph.D. programme, the reservation policy shall be followed as per rules.

पी-एच.डी. प्रोग्राम में पंजीयन निम्न प्रकार से होगा:-

विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश देगा।

- (i) शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) द्वारा
- (ii) सीधे प्रवेश (शोध प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुये बिना) द्वारा प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50 प्रतिशत अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्य विवरण (Syllabus) में 50 प्रश्न शोध पद्धति तथा 50 प्रश्न विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे।

● **शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.)**

अभ्यर्थी जिसने न्यूनतम अर्हता निर्धारित अंकों के प्रतिशत के साथ प्राप्त की हो शोध प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह माना जाएगा।

परीक्षा के अधिकतम अंक : 100 अंक

परीक्षा अवधि : 2 घण्टे

प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे।

सेक्शन-A शोध पद्धति एवं शोध अभियोग्यता (50 प्रश्न)

सेक्शन-B मुख्य विषय (50 प्रश्न)

प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ/ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न

प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे। परीक्षार्थी को सेक्शन-A एवं सेक्शन-B में पृथक-पृथक 40 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / निशक्त / गु.का. (समविश्वविद्यालय) के स्टाफ वार्ड वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 45% होंगे।

नोट:-

- (i) प्रश्न पत्र में शोध पद्धति के 50 प्रश्न एवं सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम से कुल 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।
- (ii) शोध प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में से प्रत्येक यूनिट से समान रूप से प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (iii) उत्तर पुस्तिकाओं की किसी भी स्थिति में पुनर्गणना/ पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (iv) गलत उत्तर के अंक नहीं काटे जायेंगे।

पी-एच.डी. प्रोग्राम के प्रत्येक विषय में शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषय में उपलब्ध स्थानों की संख्या के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

● Direct Admission (Without appearing from RET)

Those candidates who have passed UGC/CSIR(NET-JRF)/NET/GATE/CEED and similar level national test may be considered for Direct Admission to Ph.D. programme without appearing in Research Entrance Test (RET).

Procedure

- List of eligible candidates for admission to Ph.D. programme shall be provided by the examination controller to the concerned Head of the Department. The Controller of Examination will issue the merit list of the RET qualified candidates with their respective marks.

- University may decide the number of eligible student to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

- RET is only the eligibility test for Ph.D. programme. The eligibility of the candidates will be valid for current academic session only. The candidates who qualify the RET will be called for interview to discuss their research interest/area before the Departmental Research Committee (DRC) chaired by Head of the concerned department.

Provided that for the selection of candidates based on the RET weightage of 70% for entrance test and 30% for the performance in the interview/viva-voce shall be given.

- An interview/viva-voce test shall be organized by the University and the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Departmental Research Committee. The interview/viva voce test shall also evaluate the following aspects, viz. whether:
 - (a) The candidate possesses the competence for the proposed research;
 - (b) The research work can be suitably undertaken at the department/Campus;
 - (c) The proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.
- During the Interview the candidates are required to discuss their research interest/area before the Departmental committee. The seat shall remain vacant in the concerned subject, if any candidate is not found suitable even after the completion of the above process.

● सीधे प्रवेश (आर.ई.टी. से छूट)

उन अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) में सम्मिलित हुये बिना सीधे प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने यू जी.सी./ सी.एस.आई.आर. (नेट- जे.आर.एफ.) / नेट/ गेट/सीड एवं इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

विधि

- अर्ह अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के साथ उनके अंकों को भी जारी करेंगे।

- विश्वविद्यालय साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या पी.एच-डी. पाठ्यक्रम में रिक्त स्थानों की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकता है।

- शोध प्रवेश परीक्षा पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिए केवल पात्रता परीक्षा है। अभ्यर्थियों की पात्रता केवल इसी शैक्षिक सत्र के लिए मान्य होगी। आर.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके शोध क्षेत्र/रुचि के बारे में विचार विमर्श हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

बशर्ते कि आरईटी के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

- समविश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी परीक्षा ली जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के लिये उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर विचार विमर्श एक विधिवत गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण द्वारा किया जायेगा।

साक्षात्कार/मौखिकी परीक्षा में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा:

- (a) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिये क्षमता है?
- (b) प्रस्तावित शोध कार्य सुलभतापूर्वक विभाग/परिसर में क्रियान्वित किया जा सकता है।
- (c) प्रस्तावित शोध से नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

- अभ्यर्थी विभागीय समिति के समक्ष साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की रुचि/क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा। यदि उक्त प्रक्रिया के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित विषय में वह स्थान रिक्त रहेगा।

- A supervisor shall be allocated to the selected candidate in the meeting of Departmental Research Committee subject to availability of seats and supervisor's consent only, keeping in view the specialization of the supervisor as well as the research interest of the candidate during his/her interview. The allocation/allotment of supervisor shall not be left to individual student or teacher.
- The same criteria for admission shall be applicable to RET-exempted candidates.
- Preference will be given to RET exempted candidates.

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF INTERVIEW/DISCUSSION BEFORE DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE

Applicant must bring the following documents at the time of interview/discussion before the Departmental Research Committee:

- Admit card of the entrance test.
- Attested/self attested copy of high school or equivalent examination certificate
- Attested/self attested copy of high school or equivalent examination marksheet.
- Attested/self attested copy of Intermediate (10+2) or equivalent examination marksheet
- Attested/self attested copies of marksheets of all years/semesters of graduation
- Attested/self attested copies of marksheets of all years/semesters of post graduation
- Attested/self attested copies of UGC/CSIR(NET-JRF)/NET/GATE certificate in support of RET exemption under direct admission
- Character certificate (original copy)
- Reservation category certificate (attested/Self attested copy)
- Attested/self attested copy of caste certificate issued by competent authority.
- No objection certificate from Employer (if applicable)
- Attested/self attested copy of the certificate of physically disabled candidates issued by District CMO
- **Original copy of all the above certificates/documents (for verification).**

Note:-For OBC category, the caste of the candidates should be in the central OBC list available on NCBC website and OBC certificate issued as per Govt. of India format only will be accepted. OBC certificate on the State Govt. format will not be accepted.

- चयनित अभ्यर्थी के लिए निर्देशक का निर्धारण विभागीय शोध समिति द्वारा किया जाएगा जो कि शिक्षक के अन्तर्गत उपलब्ध सीट, उसकी सहमति व विषय विशेषज्ञता एवं अभ्यर्थी की उस क्षेत्र में शोध रुचि पर आधारित होगा। निर्देशक का चयन व्यक्तिगत छात्र/छात्रा एवं शिक्षक पर नहीं छोड़ा जाएगा।
 - आर.ई.टी. से छूट वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया भी उपरोक्त की तरह ही की जायेगी।
 - आर.ई.टी. से छूट वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
- विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची**
- अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय निम्न प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभाग में आना होगा:-
- प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
 - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
 - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
 - इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
 - स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंक पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
 - स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंक पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
 - यू.जी.सी./सी.एस.आई.आर.(नेट-जे.आर.एफ.)/नेट/गेट के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि-शोध प्रवेश परीक्षा से छूट पाने वाले शीघे प्रवेश के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिये
 - चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
 - आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
 - सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र (प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
 - नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
 - जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)
 - **उपरोक्त सभी प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ (जाँच हेतु)**

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की NCBC वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीय सूची में होनी चाहिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का केन्द्रीय प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। राज्य सरकार के प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

ANNOUNCEMENT OF RESULT

The merit of the selected candidates shall be declared by the Controller of Examination and shall be displayed on the University website, notice boards of the concerned departments and the Registrar office. **Selected candidates shall not be informed by post.**

ISSUE OF ADMIT CARDS FOR ENTRANCE EXAM

- Admit cards shall be downloaded online from the University website. Admit card shall not be sent by post in any case. If any candidate could not download the admit card from the University website before 3 days of the date of entrance examination, he/she should contact the Examination Controllers' office personally alongwith with documentary evidence.
- If the information furnished by the candidate is found false, his/her eligibility shall be cancelled even after issuing the admit card.

GENERAL INSTRUCTION FOR ENTRANCE EXAMINATION

- No candidate shall be allowed to appear in the Entrance Examination without admit card.
- The candidate should go through eligibility criteria as mentioned in this Information Brochure before appearing in the entrance examination. In case it is found that he/she does not fulfill the eligibility criteria etc., his/her candidature/admission shall automatically stand cancelled at any stage during or after admission process.
- Candidates are allowed to bring with them Blue/Black ball pen only in the examination hall. Use of calculator, cellphone, watch with calculator and other electronic gadgets shall not be allowed to carry in the examination hall.
- All the candidates must reach the examination hall half an hour before the commencement of the examination.
- Smoking, food articles and any type of drinks except drinking water are strictly prohibited.

परीक्षा परिणाम की घोषणा

प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी की जायेगी तथा समविश्वविद्यालय वेबसाइट, सम्बन्धित विभागों व कुलसचिव कार्यालय के सूचना पटों पर लगायी जायेगी। **चयनित अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना नहीं दी जायेगी।**

प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र

- प्रवेश पत्र ऑनलाइन समविश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र किसी भी स्थिति में डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र समविश्वविद्यालय वेबसाइट से परीक्षा से 3 दिन पूर्व तक डाउनलोड न हो पाये तो वह अपने आवेदन सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में सम्पर्क करे।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचना गलत पायी गयी तो प्रवेश पत्र जारी किये जाने के बाद भी उसकी पात्रता/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश

- किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी को इस विवरण पत्रिका में दी गई अर्हताएँ देख लेनी होंगी। यदि प्रवेश के किसी भी स्तर पर या प्रवेशोपरान्त ये पाया गया कि अभ्यर्थी अर्हताएँ पूर्ण नहीं करता/करती है तो उसकी पात्रता/प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- परीक्षा भवन में अभ्यर्थी केवल नीला/काला बालपैन ही ले कर आयेगे। कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर वाली घड़ी एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा भवन में लाना वर्जित होगा।
- सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा से आधा घण्टा पूर्व प्रवेश परीक्षा स्थल पर पहुँचना होगा।
- परीक्षा भवन में शुद्ध जल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या धूम्रपान वर्जित है।

RULES & REGULATIONS

(A) Ph.D. PROGRAMME (Full Time)

As per University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degrees) Regulations, 2022 {In supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 and its amendments } No. F.No. 1-3/2021(QIP).

1. DURATION OF THE Ph.D. PROGRAMME

- Ph.D. programme shall be for a minimum duration of 3 years, including course work and a maximum of 6 years from the date of admission in the Ph.D. Programme.
- A maximum of an additional two years can be given through a process of re-registration, provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.
Provided further that, female Ph.D scholars and persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation for two (2) years: however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such case should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.
- The female Ph.D. scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

2. Ph.D. COURSE WORK

- After being selected for Ph.D. programme a student shall be required to undertake **Course Work** for a minimum period of **one semester**. The course work shall be of 14 credits. The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. programme.

The Course work shall have following four papers:

Paper-1	Research Methodology	4 credits
Paper-2	Research and Publication Ethics (RPE)	2 credits
Paper-3	Course/Subject specific	4 credits
Paper-4	Literatures survey, review of Research papers and presentation	4 credits

- It will be mandatory for each candidate to pass this course to be conducted by the University for each subject.
- There will be four papers of 100 marks each in Ph.D. course work. In the paper-1, paper-2 and paper-3 there shall be end semester examination of 100 marks each and there shall be no internal assessment in these papers. Paper-4 (Literatures survey, review of Research papers and presentation) shall be evaluated internally by the Research Advisory Committee (RAC) of the candidate on the basis of literature survey, report of the review of research papers, presentation & attendance etc. The minimum pass percentage in each paper of the Ph.D. course work will be 55% or its equivalent Grade in the UGC 10 Point Grading System and candidates will have to pass all the four papers.
- The RAC can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirement for Ph.D. Programme.
- The candidate shall be given maximum of two successive attempts to pass this course.
- If a candidate fails to pass this course in two attempts, his/her candidature for registration shall be cancelled.
- This course work shall be run by the concerned department in main campus and Kanya Gurukula Campus, Haridwar/Dehradun.

नियम-उपनियम

(A) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2022) {विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./पीएचडी) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रतिस्थापन में} No. F.No. 1-3/2021(QIP).

1. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि

- पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि प्रवेश की तिथि से न्यूनतम अवधि 3 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी जिसमें पाठ्यक्रम कार्य भी शामिल होगा।
- पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम अतिरिक्त 2 वर्ष दिये जा सकते हैं। बशर्ते कि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम पूरी करने की कुल अवधि प्रवेश की तिथि से 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बशर्ते कि महिला शोधार्थी और निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40%से अधिक हो) को दो वर्षों के लिये अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है हालांकि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम पूरी करने की अवधि ऐसे मामले में प्रवेश की तिथि से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला शोधार्थियों को पी-एच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

2. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य

- पी-एच.डी. प्रोग्राम में चयन होने के उपरान्त शोधार्थी को न्यूनतम एक सेमेस्टर अवधि का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा। पाठ्यक्रम कार्य कुल 14 क्रेडिट का होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की पूर्व तैयारी का माना जायेगा।

पाठ्यक्रम में निम्न चार प्रश्नपत्र होंगे :-

प्रथम प्रश्नपत्र शोध पद्धति	4 क्रेडिट
द्वितीय प्रश्नपत्र शोध एवं प्रकाशन आचार-विचार	2 क्रेडिट
तृतीय प्रश्नपत्र कोर्स/विषय विशेष	4 क्रेडिट
चतुर्थ प्रश्नपत्र साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण	4 क्रेडिट

- प्रत्येक शोधार्थी को समविश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय के लिये निर्धारित पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में 100-100 अंकों के चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्नपत्र की 100 अंकों की परीक्षा सेमेस्टर के अन्त में होगी तथा इन प्रश्न पत्रों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र (साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण) का मूल्यांकन आन्तरिक रूप से साहित्य सर्वेक्षण, शोध पत्रों की समीक्षा रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण एवं उपस्थिति आदि के आधार पर शोधार्थी के शोध सलाहकार समिति के द्वारा किया जायेगा। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक 55% अथवा यूजीसी के 10-पाइंट ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड के समकक्ष होंगे तथा अभ्यर्थी को सभी प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।
- शोध सलाहकार समिति पीएचडी पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकता के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भी संस्तुति कर सकती है।
- शोधार्थी को इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए लगातार अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जायेंगे।
- यदि शोधार्थी लगातार दो अवसरों में भी इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसकी पंजीकरण हेतु पात्रता निरस्त मानी जायेगी।
- यह पाठ्यक्रम कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा मुख्य परिसर तथा कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार/देहरादून में चलाया जायेगा।

3. CONSTITUTION AND FUNCTION OF DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE (DRC)

The Departmental of Research Committee (DRC) shall be constituted as follows:-

- (i) Head of the Department-Chairman & Convener
- (ii) All Professors of the Department
- (iii) All Associate Professors of the Department
- (iv) All Assistant Professors of the Department who are eligible to be a research guide.

The DRC will make a final selection of the candidates against the available seats in the Department after assessing the presentations of all the candidates regarding their research proposal/areas given before it. It will then nominate research advisory committee for each selected candidates for helping him/her in preparing Synopsis to be presented in the RDC.

The DRC also will monitor the research activities and research projects of the concerned department.

4. PROCEDURE FOR REGISTRATION AND FUNCTION OF THE RESEARCH DEGREE COMMITTEE (RDC)

- (i) The eligible candidates for Ph.D. degree shall submit their application/registration form alongwith a synopsis of the proposed topic in ten copies (typed/printed) recommended by his/her supervisor and R.A.C., forwarded by head of department to the office of Registrar.
- (ii) The candidate should write his/her name, complete postal address and contact number at the front page of the synopsis.
- (iii) The application form and synopsis for Ph.D. registration, complete in all respects shall be placed before the RDC of the concerned subject. The notice of the meeting of RDC shall be given to the candidate and the supervisor well in advance by the convener of RDC so that the candidate may defend the proposed topic in the meeting. It will be compulsory for the candidate to be present before the RDC.
- (iv) The RDC shall be constituted as follows:-
 - a. Vice Chancellor - Chairman
 - b. Dean of the Faculty
 - c. Two subject experts appointed by the Vice-Chancellor (tenure 3 years)
 - d. Head of the Department - Convener
 - e. All Professors of the Department
 - f. One Associate Professor of the Department in order of seniority (tenure 3 years)
 - g. One Assistant Professor of the Department who is eligible to be research guide in order of seniority (tenure 3 years)

3. विभागीय शोध समिति का गठन एवं कार्य

विभागीय शोध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (i) विभागाध्यक्ष-चेयरमैन एवं संयोजक
- (ii) विभाग के समस्त प्रोफेसर
- (iii) विभाग के समस्त एसोसिएट प्रोफेसर
- (iv) विभाग के समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर जो शोध निर्देशक बनने के लिये अर्ह हों।

विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) सभी अर्ह अभ्यर्थियों के द्वारा उसके समक्ष शोध प्रस्ताव/क्षेत्रों पर दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर विभाग में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष शोध छात्र/छात्राओं का अन्तिम चयन करेगी। इसके उपरान्त यह प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिये एक शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) मनोनीत करेगी जो शोधार्थी के द्वारा आर.डी. सी. में प्रस्तुत करने हेतु शोध रूप रेखा (सिनोपसिस) तैयार करने में उसकी सहायता करेगी।

विभागीय शोध समिति विभाग की शोध परियोजनाओं एवं शोध क्रिया कलाओं की देखरेख भी करेगी।

4. पंजीयन प्रक्रिया एवं शोध उपाधि समिति के कार्य

- (i) शोध उपाधि हेतु अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र प्रस्तावित विषय की प्रस्तावना एवं रूपरेखा (Synopsis) की टंकित या मुद्रित 10-10 प्रतियों सहित अपने निर्देशक तथा शोध सलाहकार समिति की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करेगा/करेगी।
- (ii) रूपरेखा के प्रथम पृष्ठ पर शोधार्थी द्वारा अपना नाम पूर्ण पता एवं फोन नं. अवश्य अंकित करना चाहिए।
- (iii) शोध उपाधि पंजीयन हेतु प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र एवं रूपरेखा सम्बन्धित विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। शोध उपाधि समिति की बैठक की सूचना संयोजक द्वारा शोधार्थी एवं निर्देशक को यथा समय दे दी जायेगी ताकि वे प्रस्तावित विषय के बचाव (Defend)/स्पष्टीकरण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित रह सकें। शोधार्थी के लिए शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- (iv) शोध उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-
 - a. कुलपति-अध्यक्ष
 - b. संकाय के संकायाध्यक्ष
 - c. कुलपति द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ (कार्यकाल 3 वर्ष)
 - d. विभाग के विभागाध्यक्ष-संयोजक
 - e. विभाग के समस्त प्रोफेसर
 - f. विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक एसोसिएट प्रोफेसर (कार्यकाल 3 वर्ष)
 - g. विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो निर्देशक बनने के लिये अर्ह हो (कार्यकाल 3 वर्ष)

- (v) The meeting of RDC shall be held once a year arranged by the Convener. Vice-Chancellor shall be the Chairperson of this meeting.
- (vi) The candidate shall have to submit the migration certificate within three months from the date of admission in Ph.D. course work. In case he/she fails to do so, he/she shall not be permitted to appear in the Ph.D. course work examination.

5. Research Advisory Committee (RAC) and its functions

- (i) There shall be a Research Advisory Committee for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. The RAC shall be constituted as follows:
 - (a) One Professor - Chairman
 - (b) One Professor/Assoc. Professor/Asst. Professor - Member (In case there are less than three regular faculty members in the concerned Department, Professor/Associate Professor/Assistant Professor of other Departments can be nominated as a member of RAC with the prior approval of the Vice-Chancellor)
 - (c) Co-supervisor of the Research Scholar (if any)-Member
 - (d) Supervisor - Convenor

This Committee shall have the following responsibilities:

- To review the research proposal and finalize the topic of research;
- To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.
- To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
- (ii) A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports of the scholar shall be submitted by the Research Advisory Committee to the Registrar through the Head of the Department with a copy to the research scholar by 31st December/30th June every year.
- (iii) In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend with the approval of the DRC to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

- (v) शोध उपाधि समिति की बैठक वर्ष में एक बार संयोजक द्वारा आहूत की जायेगी। कुलपति इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (vi) अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश की तिथि से तीन माह के अंदर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता/रहती है तो ऐसे अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य

- (i) प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी के लिये इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति होगी। शोधार्थी का शोध निर्देशक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। शोध सलाहकार समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:
 - (a) एक प्रोफेसर-अध्यक्ष
 - (b) एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर-सदस्य (सम्बंधित विभाग में नियमित रूप से कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या 3 से कम होने की स्थिति में किसी अन्य विभाग के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर को कुलपति की पूर्व स्वीकृति के उपरांत शोध सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जा सकता है।)
 - (c) शोधार्थी का सह-निर्देशक (यदि कोई हो)-सदस्य
 - (d) निर्देशक-समन्वयक
- इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-
 - शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना
 - शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।
 - शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।
- (ii) शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा शोधार्थी की षड्मासिक प्रगति रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर/30 जून तक भेज दी जाएगी।
- (iii) यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

6. ELIGIBILITY CRITERIA FOR Ph.D. SUPERVISOR AND CO-SUPERVISOR

(i) Only permanent faculty members of the University shall act as a supervisor. The external supervisors will not be allowed. However, Co-supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from within the same department or other departments of the University or from outside Academic/ Research Institutions with the approval of the RDC.

(ii) Any permanent Professor/Associate Professor of the University with at least five research publications in Peer-Reviewed /Refereed /UGC CARE Listed Journals shall act as Research Supervisor/Co-supervisor.

Permanent Assistant Professor working in University having the following qualification may also be research supervisor/co-supervisor:

He/she must possess Ph.D. degree and should have published three research paper in peer- reviewed /refereed/ UGC CARE Listed Journals.

Furthermore, faculty members on probation will not be eligible to supervise PhD scholars.

(ii) In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Co-Supervisor from within the same/outside the concerned Department of the University or from outside the University on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions.

(iv) A co-supervisor with the above qualifications may be appointed on the request of research scholar with the recommendation of research advisory committee and approval of RDC. An eminent scholar from outside the University working in teaching /research organization having expertise in the subject of research may be permitted to act as co-supervisor on the recommendation of RAC & approval of RDC.

Co-supervisor shall have to take permission from his/her parent institution.

6. शोध निर्देशक एवं सह-निर्देशक के लिए पात्रता मापदण्ड

(i) समविश्वविद्यालय के स्थाई शिक्षक ही निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य निर्देशकों को अनुमति नहीं होगी। तथापि समविश्वविद्यालय के सम्बन्धित/अन्य विभागों से अथवा अन्य शैक्षणिक/शोध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-निर्देशकों को शोध उपाधि समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ii) समविश्वविद्यालय का कोई भी स्थाई रूप से नियुक्त प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने किसी पीअर रिव्यूड/रेफरीड/यू.जी.सी. की केयर सूची में दिए गए शोध पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध पत्र प्रकाशित किये हों वे शोध निर्देशक/सह-निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे।

समविश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न योग्यता धारक स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर भी शोध निर्देशक/सह-निर्देशक हो सकते हैं:-

डाक्टरेट (Ph.D.) उपाधि प्राप्त ऐसे स्थाई शिक्षक जिनके तीन शोध पत्र किसी पीअर रिव्यूड/रेफरीड/यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हों।

इसके अलावा परीक्षण काल पर नियुक्त शिक्षक पी-एच.डी. शोध छात्रों के निर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) ऐसे शोध शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए उस स्थिति में विभाग द्वारा सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है जो कि समविश्वविद्यालय के संबंधित/अन्य विभाग से अथवा समविश्वविद्यालय के बाहर से हो ऐसी निबंधन व शर्तों पर जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

(iv) शोधार्थी की प्रार्थना पर उपरोक्त योग्यताधारक शिक्षक शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत किये जाने एवं शोध उपाधि समिति की स्वीकृति पर किये जाने पर सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। समविश्वविद्यालय से बाहर के किसी विशिष्ट विद्वान्, जो अध्यापन/शोध संस्थान में कार्यरत हो तथा सम्बन्धित शोध विषय में निपुण हो, को शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है।

सह-निर्देशक को अपने संस्थान से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

- (v) Adjunct faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as Co-supervisors subject to the fulfilling the prescribed qualifications and terms & conditions laid down by the University for such Teachers on the recommendation of RAC & approval of RDC.
- Note:** In areas/disciplines where there is no or only a limited number of Peer- reviewed /Refereed/UGC CARE Listed Journals, University may relax the above condition for recognition of a Teacher as Research Supervisor with reasons recorded in writing.
- (vi) In case of relocation of a Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these rules and regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.
- (vii) Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a Co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.
- (viii) If a faculty member is on a long leave of one year or more, the DRC shall not recommend him/her as supervisor/co-supervisor.
- (v) सहायक संकाय सदस्य शोध निर्देशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे और केवल सह-निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता एवं शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति की पूर्व स्वीकृति के आधार पर सह-शोध निर्देशक बन सकते हैं।
- नोट:**—उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां पीअर रिव्यूड/रेफरीड/यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में दी गयी शोध पत्रिकायें नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में हों तो विश्वविद्यालय किसी शिक्षक को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।
- (vi) विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पी-एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन नियमों-उपनियमों की अन्य समिति निबंधन और शर्तों का शब्दांश: पालन किया जाये तथा शोध कार्य मूल विश्वविद्यालय/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किये गये शोध कार्य के अंकों के लिये उसे पूर्ण श्रेय देगा।
- (vii) सेवानिवृत्ति से पहले तीन साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को नए शोधार्थियों को अपने निर्देशन में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे शिक्षक उन पी.एच.-डी. शोधार्थियों का निर्देशन जो सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत हैं, सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सह-निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- (viii) यदि कोई शिक्षक एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अवकाश पर है, तो विभागीय शोध समिति उसे निर्देशक/सह-निर्देशक के रूप में अनुशंसित नहीं करेगा।

- (ix) The maximum number of research scholars under a Supervisor/Co-supervisor shall be as follows:-
- | | | |
|---------------------|---|----|
| Professor | - | 08 |
| Associate Professor | - | 06 |
| Assistant Professor | - | 04 |

Note:-

- (a) To become a co-supervisor of a student of other Institutions/ University, a prior permission from Gurukula Kangri (DU) authorities shall be mandatory.
- (b) Reservation policy in case of seat allotment will be implemented teacherwise.
- (c) After submission of Ph.D. thesis by a research scholar, the seat shall be treated as vacant under the concerned supervisor.

7. SUBMISSION OF PROGRESS REPORT

- (i) It shall be mandatory for each research scholar to submit his/her quarterly research progress report in prescribed format certified by his/her supervisor through the Head in the office of the Registrar.
- (ii) Each research scholar shall have to deposit prescribed monthly fee in the office of Registrar alongwith the progress report in the prescribed format.

8. CANCELLATION OF REGISTRATION

- (i) The Ph.D. registration shall automatically be treated as cancelled after maximum period for submitting the thesis. This period shall be counted from the date of admission to the Ph.D. programme.
- (ii) If two successive quarterly research progress reports of the research scholar along with monthly fee are not submitted in the University office, the registration of the research scholar shall be cancelled. However, on the written request of the research scholar within 30 days after cancellation with the recommendation of the research advisory committee (RAC), his/her case shall be referred to the DRC for final decision. This opportunity shall be provided only once during the entire period of Ph.D. programme.
- (iii) The Ph.D. registration shall be cancelled on the recommendation of RAC as per clause 5 (iii) above.

9. LAYOUT OF THE THESIS

The layout of Ph.D. thesis shall be as follows:-

- (i) Candidate's declaration
- (ii) Supervisor's certificate
- (iii) Co-supervisor's certificate (If any)
- (iv) Certificate of HOD.
- (v) Certificate of Ph.D. course work examination (issued by COE)
- (vi) Acknowledgement by the candidate
- (vii) Contents
- (viii) Main body of the thesis alongwith references/bibliography, notes and appendices etc.

- (ix) एक निर्देशक/सह-निर्देशक के अन्तर्गत शोधार्थियों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार होगी:-
- | | | |
|--------------------|---|----|
| प्रोफेसर | - | 08 |
| एसोसिएट प्रोफेसर | - | 06 |
| असिस्टेंट प्रोफेसर | - | 04 |

नोट:-

- (a) किसी दूसरे संस्थान/विश्वविद्यालय के किसी शोधार्थी का सह-निर्देशक होने के लिये गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- (b) सीट विनियोजन के समय आरक्षण शिक्षकवार लागू होगा।
- (c) शोधार्थी द्वारा शोध ग्रन्थ (Ph.D. Thesis) जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्देशक की वह सीट रिक्त मानी जायेगी।

7. प्रगति विवरण का प्रस्तुतीकरण

- (i) प्रत्येक शोधार्थी के लिए अपना त्रैमासिक शोध प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप में अपने निर्देशक से प्रमाणित करवाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
- (ii) प्रत्येक शोधार्थी को निर्धारित प्रारूप में प्रगति विवरण के साथ मासिक शुल्क कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

8. पंजीयन निरस्तीकरण

- (i) शोध कार्य की अधिकतम अवधि, जो कि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से मानी जायेगी, के पश्चात् पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (ii) यदि शोधार्थी के लगातार दो शोध प्रगति विवरण तथा मासिक शुल्क समविश्वविद्यालय कार्यालय में जमा न हो तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जायेगा। पंजीकरण निरस्तीकरण पर विचार हेतु शोधार्थी के द्वारा पंजीकरण निरस्तीकरण के पश्चात् 30 दिनों के अन्तर्गत लिखित प्रार्थना पत्र पर जो कि उसके शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत हो, विभागीय शोध समिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह अवसर शोधार्थी को पी-एच.डी. प्रोग्राम की पूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- (iii) शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर उपरोक्त बिंदु 5 (iii) के अनुसार पी-एच.डी. पाठ्यक्रम का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

9. शोध ग्रन्थ का अभिन्यास

शोध ग्रन्थ का अभिन्यास (खाका) निम्न प्रकार होगा:-

- (i) शोधार्थी का घोषणा पत्र
- (ii) निर्देशक का प्रमाण पत्र
- (iii) सह-निर्देशक का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
- (iv) विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।
- (v) पी-एच.डी. कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र (परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत)
- (vi) शोधार्थी द्वारा धन्यवाद पत्र
- (vii) विषय सूची
- (viii) शोध ग्रन्थ का मुख्य भाग, सन्दर्भ सूची/परिशिष्टियों, टिप्पणी, ग्रन्थ सूची आदि सहित।

10. EVALUATION OF THE THESIS

- (i) Upon satisfactory completion of Ph.D. course work, and obtaining the marks/grade prescribed above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the University in these Rules & Regulations.
- (ii) Ph.D. student shall publish at least one research paper in Peer reviewed/Refreed/UGC CARE Listed Journals and also have to present two research papers in National/ International conference/seminar before the submission of the Ph.D. thesis. The candidate shall have to produce evidence for the same in the form of reprints of the published paper and certificate of the paper presented in the conference seminar.
- (iii) Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee & DRC which shall also be open to all faculty members and other Research Scholars/Students. The feedback and comments obtained from them shall be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee. For the above presentation, research scholar shall inform to head of the department through his/her supervisor. Ph.D. thesis shall have to be submitted within 30 days from the date of Pre-submission presentation.
- (iv) The Academic Council of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty in the thesis.

While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the University where the work was carried out, or to any other Institution.
- (v) After completion of the research work the research scholar shall submit four typed copies of the thesis with the certificate of the supervisor alongwith candidate's declaration and forwarded by Head/Convenor of the RDC to the office of the Registrar alongwith summary and synopsis approved by RDC and fee etc. The certificate duly signed by co-supervisor is essential wherever co-supervisor has been appointed.

10. शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन

- (i) शोधार्थी द्वारा पी-एच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर शोध कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा इन नियमों के आधार पर समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शोध ग्रंथ/थीसिस जमा करना होगा।
- (ii) शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने से पूर्व शोधार्थी न्यूनतम एक शोध पत्र पीयर रिव्यूड/रेफ्रीड/यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करायेगा तथा न्यूनतम दो शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस/सेमिनार में प्रस्तुत करेगा। शोधार्थी इन शोध पत्रों के रीप्रिंट तथा कांफ्रेंस/सेमिनार में प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों के प्रमाणपत्र प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।
- (iii) शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी शोध सलाहकार समिति एवं विभागीय शोध समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण/छात्र तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रति पुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जायेगा। उक्त प्रस्तुतीकरण हेतु शोधार्थी अपने निर्देशक के माध्यम से विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। शोध ग्रंथ उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के तीस दिनों के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- (iv) समविश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा शोध ग्रंथ में साहित्यिक चोरी (Plagiarism) तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट (Academic dishonesty) का पता लगायेगी।

शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (v) शोध कार्य पूर्ण होने पर शोधार्थी को शोध ग्रन्थ की चार टाइप की हुई प्रतियाँ निर्देशक के प्रमाण पत्र एवं शोधार्थी के घोषणा पत्र सहित विभागाध्यक्ष/शोध उपाधि समिति के संयोजक द्वारा अग्रसारित करवाकर कुलसचिव कार्यालय में शोध ग्रन्थ का सारांश और रूपरेखा (Synopsis) एवं शुल्कादि सहित जमा करनी होगी। जिस शोधार्थी का सह-निर्देशक नियुक्त हो, उसे शोध ग्रन्थ में उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

Note: Typed copies (both sides of the page) of the thesis shall be hard bound with cover page in brown colour. The candidate will also submit two soft copies of the thesis in CD one for Registrar office and the other for INFLIBNET/UGC.

- (vi) The research scholar shall submit a summary of Ph.D. thesis of about 10 pages and approved synopsis alongwith the thesis (four copies each).
- (vii) The language of the thesis shall be Hindi/English/ Sanskrit. But the thesis related to language/literature shall essentially be written in the respective language only i.e. a thesis of Sanskrit subject in Sanskrit language, a thesis of Hindi subject in Hindi language and a thesis of English subject in English language.
- (viii) The Ph.D. thesis must satisfy the following requirements:-
 - a. The thesis must be characterized by discovery of facts or by new interpretation of facts and it must be also based on critical examination and sound judgement.
 - b. The work must be original, not just imitation and should reflect the candidate's capacity for critical examination and sound judgement.
- (ix) The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by his/her research supervisor and at least two external examiners who are experts in the field and not in the employment of Gurukula Kangri. Such examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publication in the field wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of Research Advisory Committee/Faculty members/research scholars, and students.
- (x) The external examiners will be appointed from a list approved by the Board of Studies. The list will contain the names of at least 10 external examiners in each specialization. Panels of examiners shall consists of Professors, Associate Professors, Scientist-F & above only. In the list of examiners, name of foreign examiners may also be given. The list will be reviewed each year.
- (xi) For the evaluation of Ph.D. thesis, the Vice-Chancellor shall appoint two examiners (at least one shall be from outside the state) from the approved list by the Board of studies of the concerned department for evaluation of the thesis. These examiners shall send their reports of the thesis within a period of two months from the date of receipt of the thesis confidentially to the Registrar.

नोट:- शोध ग्रन्थ की टाइप प्रतियाँ (पृष्ठ के दोनों ओर) ब्राउन कलर के आवरण पृष्ठ के साथ सजिल्द होगी। अभ्यर्थी को शोध ग्रन्थ की दो सॉफ्ट प्रतियाँ सीडी में जमा करनी होंगी जिनमें से एक कुलसचिव कार्यालय तथा दूसरी इन्फ्लिबनेट/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये होगी।

- (vi) शोध ग्रन्थ के साथ शोधार्थी को लगभग 10 पृष्ठों में सार-संक्षेप (Summary) एवं स्वीकृत रूप रेखा (Synopsis) जमा करनी होगी (प्रत्येक 4 प्रतियों में)।
- (vii) शोध ग्रन्थ की भाषा हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी होगी, किन्तु भाषा/साहित्य विषयक शोध ग्रन्थ अपनी-अपनी भाषा में ही लिखे जायेंगे। उदाहरणार्थ- संस्कृत विषयक शोध ग्रन्थ संस्कृत भाषा में, हिन्दी विषयक शोध ग्रन्थ हिन्दी भाषा में और अंग्रेजी विषयक शोध ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा में लिखने अनिवार्य होंगे।
- (viii) शोध ग्रन्थ में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं :-
 - a. शोध ग्रन्थ अन्वेषणात्मक हो, जिसमें तथ्यों एवं विषयों का समावेश हो तथा वह आलोचनात्मक एवं तर्कसंगत निर्णयों पर आधारित होना चाहिए।
 - b. कार्य मौलिक हो, अनुकरण न हो, उसमें शोधार्थी की समीक्षात्मक प्रतिभा तथा निर्णय करने की क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए।
- (ix) शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पी-एच.डी. थीसिस का मूल्यांकन उसके निर्देशक और कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों एवं गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में नियोजित न हों। ऐसे परीक्षकों को क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन के अच्छे रिकॉर्ड वाला शिक्षाविद होना चाहिए, जहां भी संभव हो बाहरी परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा में शोध-निर्देशक और कम से कम एक बाहरी परीक्षक शामिल होगा और इसे ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा शोध सलाहकार समिति के सदस्यों/संकाय सदस्यों/शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए खुली होगी।
- (x) बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत की गई पर्यवेक्षकों की सूची से की जाएगी। सूची में प्रत्येक विशेषज्ञता में कम से कम 10 बाहरी परीक्षकों के नाम होंगे। परीक्षकों की सूची में केवल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वैज्ञानिक-एफ एवं उससे ऊपर के नाम भी दिये जा सकते हैं। परीक्षकों की सूची में विदेशी विशेषज्ञों के नाम भी दिये जा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष सूची की समीक्षा की जाएगी।
- (xi) शोध ग्रन्थ के मूल्यांकन हेतु कुलपति संबंधित विभाग के बी.ओ.एस. द्वारा स्वीकृत परीक्षकों की सूची से दो बाह्य परीक्षक (जिनमें कम से कम एक राज्य से बाहर का हो) नियुक्त करेंगे। परीक्षक शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन (Report) शोध ग्रन्थ प्राप्त होने के दो माह के अन्दर गोपनीय रूप से कुलसचिव को भेजेंगे।

- (xii) The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report of the Ph.D. thesis, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers. Viva-voce Examination may also be conducted online as per procedure laid down by the University for the same.
- (xiii) The research scholar shall be declared fail in case both the examiners reject the thesis. If one of them recommends (accepts) the thesis and the other rejects it, the thesis shall be sent to the third examiner out of the approved panel of examiners and his report shall be treated as final. However, the reports of both the above examiners will not be sent to the third examiner.
- (xiv) The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of the external examiner of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the dissertation/thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the third examiner is satisfactory. If the report of the third examiner is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the Ph.D. degree.
- (xv) After having been asked for correction in the thesis, the research scholar shall have to submit his/her thesis within six months from the date of receipt of such intimation, but not before three months. The prescribed fee shall also be deposited alongwith this modified thesis. The examiner for this modified thesis shall be the same who had been appointed earlier. No research scholar shall be permitted to submit his/her modified thesis more than once.
- (xvi) After appointment of examiners for viva-voce examination, the information shall also be given to the HOD and concerned supervisor in addition to the examiner so that the head of the department in consultation with supervisor shall fix the date of viva-voce examination with examiner and inform the same to the Examination controllers' office.
- (xii) पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं। मौखिकी परीक्षा को समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है।
- (xiii) दोनों परीक्षकों द्वारा शोध ग्रन्थ अस्वीकृत कर दिए जाने की अवस्था में शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक परीक्षक शोध ग्रन्थ को स्वीकृत करे तथा दूसरा अस्वीकृत करे, तो शोध ग्रन्थ को तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा तथा उसके प्रतिवेदन (Report) को अन्तिम माना जाएगा। परन्तु दोनों परीक्षकों के प्रतिवेदन तीसरे परीक्षक को नहीं भेजे जायेंगे।
- (xiv) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर समविश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
- (xv) शोध ग्रन्थ में संशोधन का आदेश मिलने पर शोधार्थी को अपना संशोधित शोध ग्रन्थ इस आदेश की तिथि से अधिकतम छः माह के अन्दर जमा करना होगा, परन्तु तीन माह से पूर्व नहीं। संशोधित शोध ग्रन्थ के साथ निर्धारित शुल्क भी देना होगा। पूर्व में नियुक्त परीक्षक ही संशोधित शोध ग्रन्थ के परीक्षक होंगे। किसी भी शोधार्थी को एक बार से अधिक संशोधित शोध ग्रन्थ जमा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (xvi) मौखिकी परीक्षा के लिए परीक्षक नियुक्त होने के पश्चात् सम्बन्धित सूचना मौखिकी परीक्षक के साथ-साथ विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित निर्देशक को भी दी जाएगी, ताकि विभागाध्यक्ष शोधार्थी के निर्देशक से सम्पर्क कर परीक्षक से परीक्षा तिथि निर्धारित कर तत्सम्बन्धी सूचना से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अवगत करेंगे। मौखिकी परीक्षा परीक्षा सम्बन्धी सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा

The notice of the conducting viva-voce examination shall be circulated by the Controller of Examination. The viva-voce examination will be held in the concerned department of main campus only.

- (xvii) The entire process of evaluation of the Ph.D. thesis shall be completed within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- (xviii) If there is no unanimous decision in the viva-voce examination, the candidate shall be given one more chance after six months, if any of the examiners fails the student in the viva-voce examination second time, he/she shall be declared fail.

11. DEPOSITORY WITH INFLIBNET

- (i) Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, within a period of thirty days, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.
- (ii) Prior to the actual award of the degree, University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2022.

12. OTHER INFORMATION ABOUT Ph.D. PROGRAMME

The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

- (i) The Ph.D. programme in Gurukula Kangri University, Haridwar is a Regular (full time/part time) programme. There is no provision of distance mode Ph.D. programme in any subject/ discipline.
- (ii) If a candidate pursuing Full Time Ph.D. programme in this University is working in any any Institution, he/she will have to submit a NOC (No Objection Certificate) & acceptance letter of leave from Head of Department/ Institution at the time of admission to Ph.D. course work.
- (iv) Employee of Gurukula Kangri (DU) shall have to apply through proper channel.
- (v) Each research scholar (including those who are getting scholarship/stipend) shall have to sign in the office of the concerned Head of Department/Co-ordinator Kanya

प्रसारित की जाएगी। मौखिकी परीक्षा मुख्य परिसर के सम्बन्धित विभाग में ही आयोजित की जायेगी।

- (xvii) पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि से छः माह के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (xviii) मौखिकी परीक्षा में सर्वसम्मत निर्णय न होने पर, शोधार्थी को छः माह के पश्चात् पुनः एक अवसर दिया जाएगा। पुनः मौखिकी परीक्षा में एक भी परीक्षक यदि शोधार्थी को अनुत्तीर्ण करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

11. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

- (i) पी-एच.डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पी-एच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व समविश्वविद्यालय 30 दिनों के अन्तर्गत पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।
- (ii) उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व समविश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रामाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

12. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य सूचनाएँ

समविश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पी-एच.डी. के लिये पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके निर्देशक/सह-निर्देशक नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

- (i) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम एक नियमित (पूर्णकालिक/अंशकालिक) प्रोग्राम है। अतः किसी भी विषय/क्षेत्र में दूरस्थ प्रणाली में पी-एच.डी. प्रोग्राम की व्यवस्था नहीं है।
- (ii) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में पूर्णकालिक शोध कार्य करने वाला शोधार्थी यदि किसी भी संस्थान में कार्यरत हो तो उसे सम्बन्धित विभाग/ संस्थान के अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अवकाश का स्वीकृति पत्र पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश लेने के समय जमा करना होगा।
- (iv) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के शिक्षक/कर्मचारी को उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा।
- (v) छात्रवृत्तिप्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कोर्डिनेटर कन्या गुरुकुल परिसर के कार्यालय में प्रतिदिन अपने हस्ताक्षर करने होंगे। शोध कार्य अथवा व्यक्तिगत

Gurukula Campus daily. If the research scholar has to go outside for some personal or research related work, the supervisor may give permission for it. But the candidate will inform through supervisor to the office of the concerned Department/Faculty/Kanya Gurukula Campus. All the documents related to the scholarship of the research scholar shall be sent to the office of the Registrar for further action through the head of the department.

- (vi) If a registered candidate wants to change his/her approved Ph.D. topic, he/she will have to apply a fresh in the next RDC. He/she shall have to submit a new topic/modified topic (synopsis) with the recommendation of the RAC and forwarded by head of the department again to the office of the Registrar. He/she will have to pay the registration fee once again for it. However, he/she will not have to appear in the RET again.
- (vii) On the written request of the candidate who has been registered for Ph.D. programme, only minor changes/modifications are allowed in his/her approved Ph.D. topic/synopsis with the recommendation of the RAC and forwarded by HOD after the approval of the RDC. The modification in the approved synopsis shall be allowed once only. After the approval of the RDC the Registrar office shall inform the candidate accordingly.
- (viii) No research scholar shall be permitted to appear in any examination of this University or any other university after getting registered for Ph.D. in this University.
- (ix) If the knowledge/understanding of any specific language or script is needed for the thesis he/she shall have to submit a certificate of having acquired the desired qualification/skill within one year.
- (x) After awarding the degree, one copy of the thesis shall be returned to the research scholar alongwith the copy of the reports of the examiners on request within one month, but the name of the external examiners shall not be disclosed in any case.
- (xi) If the examiner appointed for the viva-voce examination does not turn up, the Vice-Chancellor has the right to appoint another examiner from the proposed panel of examiners.
- (xii) The student who has already obtained Ph.D. degree from this University shall not be permitted to register himself/herself for Ph.D. degree in the same or in any other subject of this University.
- (xiii) The tenure of subject experts of RDC shall be of three years.

कार्य हेतु यदि उसका कहीं बाहर जाना आवश्यक हो तो निर्देशक इसकी स्वीकृति दे सकता है। परन्तु अभ्यर्थी निर्देशक के माध्यम से सम्बन्धित विभाग/संकाय/ सम्बद्ध कन्या गुरुकुल परिसर कार्यालय को सूचित करेगा। शोधार्थी के छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त प्रपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- (vi) यदि शोधार्थी स्वीकृत पी-एच.डी. विषय को बदलना चाहता/चाहती है, तो उसे नया आवेदन शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा। परन्तु उसे (नए विषय/संशोधित विषय/ रूपरेखा को) जिसे शोध सलाहकार समिति (RAC) द्वारा अनुमोदित तथा अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया हो, कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा। इस हेतु उसे नामांकन शुल्क पुनः जमा करना होगा। उसे शोध प्रवेश परीक्षा में पुनः नहीं बैठना होगा।
- (vii) पी-एच.डी. प्रोग्राम में पंजीकृत शोधार्थी की लिखित प्रार्थना पर उसके स्वीकृत शोध विषय / रूपरेखा में आंशिक संशोधन उसके शोध सलाहकार समिति (RAC) के अनुमोदन तथा विभागाध्यक्ष के अग्रसारण और शोध उपाधि समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा। रूपरेखा में इस प्रकार का आंशिक संशोधन केवल एक बार ही मान्य होगा। तत्पश्चात् शोध उपाधि समिति (RDC) के अनुमोदन के उपरान्त कुलसचिव कार्यालय द्वारा शोधार्थी को इसकी सूचना दी जाएगी।
- (viii) जिस शोधार्थी ने शोध के लिए इस विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण करा लिया है उसे इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ix) यदि किसी विषय में शोधार्थी के लिए किसी विशिष्ट भाषा या लिपि का ज्ञान अपेक्षित है तो उसे एक वर्ष के अन्दर तत्सम्बन्धी योग्यता प्राप्त कर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (x) उपाधि प्रदान किए जाने के उपरान्त एक माह के अन्दर, शोध ग्रन्थ की एक प्रति शोधकर्ता को वापस कर दी जाएगी तथा उसके साथ शोधार्थी की प्रार्थना पर परीक्षकों की रिपोर्ट की भी एक-एक प्रति प्रेषित कर दी जाएगी, परन्तु परीक्षकों के नाम किसी भी दशा में प्रकट नहीं किए जायेंगे।
- (xi) मौखिकी परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक यदि उपस्थित नहीं होता तो कुलपति को प्रस्तावित परीक्षकों की सूची में से अन्य परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- (xii) जिस छात्र/छात्रा ने इस विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त कर ली हो वह पुनः इस संस्थान में उसी विषय अथवा किसी अन्य विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु आवेदन नहीं कर सकेगा।
- (xiii) शोध समिति के विषय-विशेषज्ञों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(xiv) Number of vacant seats in each subject shall be advertised by the Registrar office on the position of the date of advertisement of admission notice in each academic session.	(xiv) प्रत्येक विषय में रिक्त स्थानों की संख्या कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि के दिन की स्थिति अनुसार विज्ञापित की जायेंगी।
(xv) If a full time registered Ph.D. scholar who have completed reaearch work continuously for 3 years, he/she can be facilitated to join regular employment in other Institutions/ Organisation by converting full time Ph.D. Programme into part time Ph.D. Programme. He/she shall have to pay fee of part time Ph.D. programme in place of full time Ph.D. Programme. The Research Scholar shall have to produce 'No Objection' certificate from the Head of the Institutions/Organization which he/she proposes to join.	(xv) यदि कोई पूर्णकालिक पंजीकृत शोधार्थी समविश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक निरन्तर शोध कार्य कर चुका हो तो उसे अन्यत्र संस्थानों में नियमित सेवा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्णकालिक से अंशकालिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। उस शोधार्थी से पूर्णकालिक के स्थान पर अंशकालिक का शुल्क लिया जायेगा। शोधार्थी उस संस्थान/संगठन के प्रमुख से 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वह सेवा करने का प्रस्ताव रखते हैं।
(xvi) The new rules will be applicable to the candidates who are registered from the session 2023-24 & onwards.	(xvi) नए नियम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होंगे, जो सत्र 2023-24 एवं उससे आगे पंजीकृत होंगे।
(xvii) The research scholar may use his/her pre published research material in his/her Ph.D. thesis, provided he/she has not used such a material in obtaining any degree of this University or any other University/Institution.	(xvii) शोधार्थी अपने शोध ग्रन्थ में अपनी पूर्व प्रकाशित सामग्री का उपयोग कर सकेगा, बशर्ते कि उसने इसका उपयोग इस विश्वविद्यालय की अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए पहले न किया हो।
(xviii) The supervisor of a candidate may be changed on the following grounds:-	(xviii) शोधार्थी के निर्देशक को निम्न प्रकार से बदला जा सकता है:-
(a) If the supervisor dies after the registration of the candidate.	(a) यदि निर्देशक की शोधार्थी के पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु हो गयी हो।
(b) If the supervisor is on leave (except maternity/paternity/ child care leave) from the University for a period of more than 1 years or resigns from the University.	(b) यदि निर्देशक 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए समविश्वविद्यालय से अवकाश (मातृत्व/पितृत्व/चाइल्ड केयर लीव को छोड़कर) लेता है अथवा समविश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होता है।
(c) If he / she is seriously ill and is not in a condition to supervise a candidate in prescribed duration for a period of more than six months.	(c) यदि निर्देशक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो तथा किसी भी अवस्था में शोधार्थी को निर्धारित छः महीने से अधिक की समयावधि में निर्देशित कर सकने की स्थिति में न हो।
(d) If there is mutual consent among the candidate and supervisors (existing & incumbent (Applicable up to 1 year from the date of admission)).	(d) यदि शोधार्थी एवं शोध निर्देशकों (वर्तमान एवं पदस्थ) में पारस्परिक सहमति हो (प्रवेश तिथि के 01 वर्ष तक ही मान्य)।
(e) If there is a dispute between the research scholar and his/her supervisor the following committee shall examine the matter and report to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final:-	(e) यदि शोधार्थी एवं उसके निर्देशक के मध्य विवाद हो तो निम्न समिति विचार करेगी। यह समिति कुलपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा कुलपति का निर्णय अंतिम होगा:-
(i) Dean of the concerned faculty	(i) सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष
(ii) Nominee of the Vice-Chancellor	(ii) कुलपति के प्रतिनिधि
(iii) Head of the concerned department-convenor	(iii) सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष-संयोजक

(If complaint is against the Head/Dean, he shall not participate in the proceedings of the meeting. In that case, another faculty member/s of the department may be appointed by the Vice-Chancellor).

Note :- The candidate may request for the change of supervisor with the recommendation of the Head of the Department to the Registrar. If there is no vacant seat under a teacher of the department, the Vice-Chancellor may grant permission to work under a supervisor as an additional candidate decided by the Departmental Research Committee till a seat falls vacant under that teacher.

- (xix) All Ph.D. scholars, irrespective of discipline shall be required to train in teaching/education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D., scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.
- (xx) Research scholar having less than 75% attendance in Ph.D. course work, shall have to take re-admission in Ph.D. course work.
- (xxi) If the research scholar does not appear in the examination after completing Ph.D. course work, he/she shall be given another chance to appear in the next Ph.D. course work examination after depositing the prescribed examination fee. However, examination fee deposited earlier shall be retained on medical grounds only.
- (xxii) If the synopsis of the candidate is rejected in the RDC meeting, on the recommendation of RAC the new synopsis can be re-submitted for discussion in the next RDC meeting on the request of the candidate and the recommendation of RAC.
- (xxiii) After completion of Ph.D. course work and approval of the research topic, the research scholar shall give his/her attendance to the office of concerned Department/Faculty/Kanya Gurukula Campus.
- (xxv) Ph.D. Rules & Regulations as per UGC (Minimum standards and procedure for awards of Ph.D. Degree), Regulation 2022 are in force in the University from the academic session 2023-24.
- (xxv) In case any candidate/Ph.D. scholar is found to have furnished any false information or documents, he/she shall be debarred from continuing the course.

(यदि विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत हो तो वह समिति की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा विभाग का अन्य शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

नोट:- शोधार्थी विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलसचिव को निर्देशक बदलने के लिये प्रार्थना कर सकता है। यदि विभाग के किसी शिक्षक के अन्तर्गत कोई स्थान रिक्त न हो तो विभागीय शोध समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा किसी भी शिक्षक को अतिरिक्त शोधार्थी के रूप में शोध करने हेतु अनुमति दी जा सकती है जब तक की उस शिक्षक के अन्तर्गत सीट रिक्त न हो जाये।

- (xix) समस्त शोधार्थियों को उनके डॉक्टरेट अवधि के दौरान अपने चुने हुए पीएचडी से संबंधित विषय में शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन आयोजित करने के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे शिक्षण/अनुसंधान सहायता भी सौंपी जा सकती है।
- (xx) पी-एच.डी. में पाठ्यक्रम कार्य शोधार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75% से कम रहने पर उसे पी-एच.डी. कोर्स वर्क में पुनः प्रवेश लेना होगा।
- (xxi) यदि किसी शोधार्थी ने कोर्स वर्क पूर्ण करने के उपरान्त परीक्षा न दी हो तो उसे निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर आगामी पी-एच.डी. कोर्स वर्क की परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। पूर्व में जमा किया गया परीक्षा शुल्क केवल मेडिकल के आधार पर ही सुरक्षित किया जा सकेगा।
- (xxii) यदि शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक में किसी अभ्यर्थी की शोध रूपरेखा (Synopsis) को निरस्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी की प्रार्थना एवं शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर नई शोध रूपरेखा को आगामी शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (xxiii) पी-एच.डी. कोर्स वर्क पूर्ण करने एवं शोध विषय की स्वीकृति के पश्चात् शोधार्थी अपनी उपस्थिति सम्बन्धित विभाग/संकाय/सम्बद्ध कन्या गुरुकुल परिसर कार्यालय में अंकित करायेंगे।
- (xxiv) पी-एच.डी. हेतु नियम-उपनियम समविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियुक्त, 2022 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू हैं।
- (xxv) यदि अभ्यर्थी/शोधार्थी किसी गलत सूचना अथवा प्रमाण पत्र देते हुए पाया गया तो उसे पाठ्यक्रम को जारी रखने से प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(xxviii) The controller of examinations shall issue a certificate for the course completed by the Ph.D. scholars.

(xxix) Prior to award of actual degree, the candidate can obtain a provisional certificate after two weeks from the date of viva-voce examination mentioning that the **"Degree has been awarded in accordance with the Provisions of the UGC (Minimum Standards and procedures for the award of Ph.D. degree) Regulation, 2022"**.

13. LEAVE RULES FOR THE RESEARCH SCHOLAR

For each research scholar getting scholarship/stipend, the leave rules and other terms and conditions shall be as prescribed by the concerned funding agency awarding the scholarship/stipend. In the absence of well defined rules, UGC-JRF leave rules shall be applicable. The same leave rules shall also be applicable for research scholars who are non-scholarship holders. Leave shall be granted by the HOD on the recommendation of supervisor of the research scholar.

14. LIBRARY FACILITY FOR THE RESEARCH SCHOLAR

- (a) Registered research scholar will have to deposit the library fee each year and prescribed library caution money at the time of admission in Ph.D. The library caution money is refundable after the award of the Ph.D. degree/ cancellation of the registration as per rules.
- b) Each research scholar shall be issued eight books at one time as per rules.

15. JURISDICTION

All matters of dispute during and after the admission/registration in Ph.D. programme shall be subject to the exclusive jurisdiction of Haridwar District Court.

Note:- In case of any doubt in Rules & Regulations, the English version shall be valid.

(xxviii) परीक्षा नियंत्रक शोधार्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य का प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

(xxix) वास्तविक डिग्री प्राप्त करने से पूर्व एवं मौखिकी परीक्षा की समाप्ति के दो सप्ताह के पश्चात् शोधार्थी अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि **"उपाधि को समविश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियुक्त, 2022 के प्रावधानों एवं उन्हीं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है"**।

13. शोधार्थी के लिए अवकाश के नियम

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी के लिये छात्रवृत्ति देने वाली संस्था/एजेन्सी के अवकाश के नियम तथा अन्य सभी शर्तें लागू होंगी। छात्रवृत्ति देने वाली संस्था/एजेन्सी के स्पष्ट नियम न होने की स्थिति में यू.जी.सी.-जे.आर.एफ. अवकाश नियम मान्य होंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले शोधार्थियों पर भी यही अवकाश नियम लागू होंगे। शोधार्थी को उसके निर्देशक की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।

14. शोधार्थी के लिए पुस्तकालय की सुविधा

- (a) पंजीकृत शोधार्थी को प्रतिवर्ष पुस्तकालय शुल्क एवं पी-एच.डी. में प्रवेश के समय निर्धारित पुस्तकालय सुरक्षाधन जमा करना होगा। पुस्तकालय सुरक्षाधन शोधार्थी को पी-एच.डी. उपाधि मिलने अथवा नामांकन निरस्त होने के उपरान्त नियमानुसार लौटा दिया जाएगा।
- (b) प्रत्येक शोधार्थी को एक समय में नियमानुसार 08 पुस्तकें मिल सकेंगी।

15. न्यायाधिकार

पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश व प्रवेशोपरान्त अन्य सभी प्रकरणों पर विवाद होने पर न्याय क्षेत्र हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर होगा।

नोट:- नियमों एवं उपनियमों में संशय की स्थिति में केवल अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

(B) Ph.D. PROGRAMME (PART-TIME)

In part time Ph.D. programme all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Rules & Regulations for full time Ph.D. programme of the University will be followed. Part time Ph.D. students will be required to complete the course work and appear for all evaluation components in order to complete the courses as required for Full time Ph.D. programme. All existing academic regulations of full time Ph.D. programme will be applicable to part-time Ph.D. students, unless specifically mentioned otherwise.

1. Eligibility

The eligibility criteria for part time Ph.D. programme shall be the same as that for full time Ph.D. Programme. Additionally, the candidates seeking admission in part time Ph.D. programme need to fulfill the following conditions and provide the relevant document along with the application:-

- (i) Candidate working as a regular employee in any Academic/Research Institutions or Government Department (State Govt./Centre Govt./Autonomous) or Public Sector Undertaking/Registered Industry will be eligible for admission to Part-Time Ph.D. Programme.
- (ii) The applicant must have been in continues service for at least Three years at the time of submitting the application form for admission and he/she must submit a 'No Objection Certificate' from the present employer stating that:
 - (a) He/ she is on the regular payroll of the organization. He/She shall submit salary slips of last 3 years at the time of counselling.
 - (b) He/ she is permitted to pursue studies for part-time Ph.D. programme

The Departmental Research Committee (DRC) shall ensure the fulfillment of the above mentioned conditions at the time of interview/counseling with all requisite documentary evidences.

2. Other Terms & Conditions

- (i) A faculty may be permitted to take maximum number of Part time Ph.D. students under his/her supervision in the following manner.

Professor	-	2
Associate Professor	-	1
Assistant Professor	-	1

These seat shall be including those of maximum full time Ph.D. students. However, only one student shall be allotted to a supervisor at a time.

(B) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (अंशकालिक)

अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में अभ्यर्थी को समविश्वविद्यालय की उन सभी अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा जो कि पूर्णकालिक पी-एच.डी. हेतु निर्धारित की गई हैं। अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अनुसार ही पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा और यथा समय निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिये समविश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रहे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सभी नियम-उपनियम यथावत् लागू होंगे जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1. अर्हता-

अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम हेतु अर्हता के मापदण्ड पूर्णकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के समान ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे-

- (i) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी शैक्षणिक/शोध संस्थान अथवा सरकारी विभाग (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थान) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पंजीकृत औद्योगिक संस्थान का नियमित कर्मचारी है, अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिए अर्ह है।
- (ii) आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम तीन वर्ष तक निरन्तर सेवार्त होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि:-
 - (a) अभ्यर्थी संस्थान में नियमित वेतन पर कार्यरत है। अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों की वेतन स्लिप काउंसिलिंग के समय जमा करेगा।
 - (b) अभ्यर्थी को अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में अध्ययन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साक्षात्कार/परामर्श के समय विभागीय शोध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा।

2. अन्य नियम एवं शर्तें

- (i) किसी भी विभाग में एक निर्देशक के अन्तर्गत अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम सीट/संख्या निम्न प्रकार होगी-

प्रोफेसर	-	2
एसोसिएट प्रोफेसर	-	1
असिस्टेंट प्रोफेसर	-	1

इनकी गणना पूर्णकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम संख्या के अन्तर्गत ही की जायेगी। हालांकि, शोध निर्देशक को एक समय में केवल 01 शोधार्थी ही आवंटित किया जायेगा।

- (ii) Part time Ph.D. programme shall be for a Minimum 3 year's duration including course work and maximum of 6 years. This period shall be counted from the date of commencement of Ph.D. course work classes. Extension beyond the above limits will not be permissible.
- (iii) Part- time Ph.D. scholar will be required to meet his/her supervisor at least once in a month on working days of the University throughout the duration of programme. Attendance record shall be maintained by the supervisor and office of the concerned Department.
- (iv) The Ph.D. course work for part time Ph.D. Programme shall be of one full semester's duration and the classes will be held as per the the schedule notified by the University. It is be mandatory for the research scholar to attend the above classes with minimum 75% attendance as per rules.
- (v) Part-time research scholar must give an undertaking that he/she will take leave from his/her employer for Ph.D. course work as per schedule.
- (vi) During the period of research, the candidates are required to be present in the department for a minimum of 240 days (Including course work) in a single spell or in different spells. It could be at GK (DU) or partly in the organisation of co-supervisor (if any).
- (vii) The research supervisor, at the time of submission of thesis by the candidate shall furnish a certificate that the candidate has fulfilled the minimum residential requirement for Ph.D. research work. This shall be verified by the concerned department on the basis of attendance record of the research scholar.
- (viii) Candidates who are pursuing Ph.D. as a part-time research scholar are not allowed to take admission in any other degree course (either distance or regular). If this rule is violated, the enrolment of the candidate from the course will be treated as cancelled.
- (ix) Fee structure of the Part-time Ph.D. Programme shall be as per the fee structure prescribed by the University for the same.
- (x) For staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non teaching employee of University, fee of part time Ph.D. programme under self finance departments shall be same as that of maintenance departments.
- (ii) अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत शोध कार्य की अवधि पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 6 वर्ष होगी। यह अवधि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य की कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि से मानी जायेगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त समय-विस्तारण नहीं किया जा सकेगा।
- (iii) अंशकालिक पी-एच.डी. के शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने निर्देशक से समविश्वविद्यालय के कार्य-दिवसों में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार दिशा-निर्देश हेतु उपस्थित होना होगा। उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक एवं संबंधित विभाग द्वारा रखा जायेगा।
- (iv) अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों के लिए पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य की कक्षाएँ एक सेमेस्टर की अवधि के लिए समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। शोधार्थियों की उक्त कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- (v) अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) शोधकार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबंधित विभाग में न्यूनतम 240 दिन (पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की अवधि सहित) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ये 240 दिन एक साथ अथवा अलग-अलग समयावधि में पूरे किये जा सकते हैं। यह उपस्थिति गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में उपस्थित होकर या सह-निर्देशक (यदि कोई हो) के अधीन अन्य संस्थान की भी मानी जा सकती है।
- (vii) शोध प्रबंध जमा करते समय शोध निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी ने पी-एच.डी. शोध कार्य में समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित विभाग की उपस्थिति पंजीका से किया जायेगा।
- (viii) जो अभ्यर्थी अंशकालिक पी-एच.डी. कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वे किसी भी प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। यदि कोई शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।
- (ix) अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिए शुल्क समविश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार देय होगा।
- (x) समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित विभागों में पार्ट टाइम पी-एच.डी. हेतु स्टॉफ वार्ड व स्थाई/अस्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये शुल्क अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत विभागों की भांति लिया जायेगा।

(C) ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN Ph.D. PROGRAMME

- Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars.
- The University shall decide selection procedures for Ph.D. admission of international students keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by statutory/regulatory bodies concerned from time to time.

International students are recruited via two streams:

- Direct admission in Gurukula Kangri (Deemed to be University)
- Through the Ministry of Education-supported 'Study in India' Programme

Eligibility

- Only nationals of countries other than India can apply for the Ph.D. programme. At the time of admission, the applicants for the PhD programme must have completed a 4-year undergraduate degree or a master's degree from an institution located outside India.
- Overseas Citizen of India (OCI) students who have obtained their qualifying degrees (10 +2 or equivalent, Bachelors, and Masters) in India can apply through the regular departmental admission

Selection

Selection will be based on pre-screening, followed by an interview process.

(C) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में अन्तराष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश

- प्रत्येक निर्देशक पी-एच.डी. की अनुमत संख्या से अधिक संख्या में दो अंतराष्ट्रीय अनुसंधान शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है।
- समविश्वविद्यालय अंतराष्ट्रीय छात्रों का पी-एच.डी. के लिए प्रवेश हेतु अपनी चयन प्रक्रिया समय-समय पर संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तय करेगा।

अंतराष्ट्रीय छात्रों की भर्ती दो धाराओं के माध्यम से की जायेगी:

- गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में सीधा प्रवेश
- शिक्षा मंत्रालय समर्थित 'स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम' के माध्यम से।

पात्रता

- पी-एच.डी. पाठ्यक्रम के लिये केवल भारत के अलावा अन्य देशों के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के समय, पी-एच.डी. कार्यक्रम के लिए आवेदकों को भारत के बाहर स्थित संस्थान से 4 साल की स्नातक डिग्री या मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी।
- भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) छात्र जिन्होंने भारत में अपनी योग्यता डिग्री (10 +2 या समकक्ष, स्नातक और परास्नातक) प्राप्त की है, वे नियमित विभागीय प्रवेश के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

चयन

- चयन प्री-स्क्रीनिंग और उसके बाद साक्षात्कार प्रक्रिया पर आधारित होगा।

CANDIDATE'S DECLARATION

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis entitled ".....", in fulfilment of requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy inof Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is an original work carried out by me during a period from.....to, under the supervision of Dr./Prof.....Department ofGurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

The matter presented in the thesis has not been submitted by me for the award of any other degree /diploma of this University or any other University/Institute. I have properly acknowledged the material collected from the secondary sources wherever required. I solely own the responsibility for the originality of the entire content and there is no plagiarism.

I fulfil all the eligibility requirements for the submission of Ph.D. thesis as per prescribed norms in the research rules & regulations of the Gurukula Kangri (Deemed to be University)/UGC.

Date :

(.....)

Research Scholar

Enrolment No.....

SUPERVISOR 'S CERTIFICATE

This is to certify that Mr/Ms. has worked under my supervision on ".....", for his/her Degree of Doctor of Philosophy in.....of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. He / she fulfils the eligibility criteria for submission of Ph.D. thesis as per research rules & regulations of the University/UGC. It is also certified that the candidate has incorporated the suggestions given in the pre-submission presentation before DRC.

The candidate has fulfilled the necessary requirements for full time/part time Ph.D. Programme as per rules of the Gurukula Kangri (Deemed to be University).

I recommend the thesis for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

Date :

(.....)

Supervisor

CO- SUPERVISOR'S CERTIFICATE

I forward the thesis entitled "....." being
submitted by..... for the award of the Degree of Doctor of Philosophy
in..... of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. He / she has carried out
his/her research work under my co-supervision.

Date :

(.....)

Co- Supervisor
(if any)

H.O.D.'S CERTIFICATE

The Ph.D. thesis submitted by Mr/Ms..... in the subject of under the supervision of Dr./ Prof.....is hereby forwarded for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar .

It is also certified that the candidate has made pre-submission presentation before DRC and fulfils necessary residency requirment of full time/part time Ph.D. Programme as per the rules of the University.

Date :

(.....)

Head of Department

Ph.D. PROGRESS REPORT*

Department Title

Full Time/Part Time :

Name of the Candidate

Date of Acceptance/RDC

Registration No.

Date of Starting Work

Subject

Name of Faculty/Campus

Name of the Supervisor

Name of the Co-Supervisor

Duration of Progress Report To

Have any Scholarship/Fellowship ? : Yes / No

If Yes. Date of Starting Fellowship

Name of Scholarship/Fellowship

.....

Progress Report Given by the Student

Outline below your progress and achievements over the last 3 months in about 100 words. Give the details

Signature of Scholar

Postal Address

.....

.....

Email

Contact No.

Date / /

*** The Prescribed Fee is to be deposited with each quarterly progress report. Format of the progress report can be downloaded from the University website.**

Supervisor's Recommendations

This is to certify that the research work is going on/ Not going on properly and information given by the Research Scholar is True/ Not True. As supervisor I am Satisfied/Not Satisfied with the performance of the student. (If not satisfied, give the reason.)

Date:/....../.....

Signature of Supervisor

Signature of Co-Supervisor

Signature of Head of the Department

Office Remarks given by Academic Section:-

All necessary documents and previous progress reports related to his/her research work are complete and available in the student's file.

Signature

Academic Section

Date:/....../.....

Counter Signed by

Dean

Academic Affairs

LIST OF FACULTY MEMBERS MAIN CAMPUS

प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची मुख्य परिसर

● Ved

1. Dr. Dinesh Chandra Shastri, M.A., Ph.D., D.Lit., Professor (on leave)
2. Dr. Deendayal, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Ramchand Meghwal, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Shradhanand Vedic Research Centre

1. Dr. Satya Dev Nigmalankar, M.A., Ph.D., D. Lit., Professor
2. Dr. Ramprakash Varnee, M.A., Ph.D., Professor & Head

● Sanskrit

1. Dr. Somdev Shatanshu, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. Brahmdev, M.A., Ph.D., Professor & Head
3. Dr. Mauhar Singh Meena, M.A., NET, M.Phil., Ph.D., Asst. Professor
4. Dr. Vedvrat, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Philosophy

1. Dr. Bharat Vedalankar, M.A., Ph.D., Assistant Professor
2. Dr. Babloo Vedalankar, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Yogic Science

1. Dr. Surendra Kumar, M.A., P.G. Diploma, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Udham Singh, M.A., M.Phil., Ph.D., Assistant Professor

● A. I. History Culture & Archaeology

1. Dr. Prabhat Kumar, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Devendra Kumar Gupta, M.A., NET, Ph.D., Professor
3. Dr. Kushwaha Dilip Kumar, M.A., NET, Ph.D., Associate Professor

● Hindi

1. Dr. Ajeet Singh Tomar, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
2. Dr. Sunil Kumar, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● English

1. Dr. Ambuj Kumar Sharma, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Arun Singh Awana, M.A., Ph.D., Asst. Professor (on leave)
3. Dr. Varun Bakshi, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Psychology

1. Dr. Rakesh Kumar, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Arun Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D., NET, Associate Professor
3. Dr. Deepak Singh, M.A., M.Phil., Ph.D., Assistant Professor

● Jyotirvigyan & Vedic Karmakand

1. Dr. Bhagwan Das, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Economics

1. Dr. Vipul Bhatt, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● वेद

1. डा. दिनेश चन्द्र शास्त्री, एम.ए., पी-एच.डी., डी. लिट्, प्रोफेसर (अवकाश पर)
2. डा. दीनदयाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. रामचन्द्र मेघवाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● श्रद्धानन्द वैदिक अनुसंधान केन्द्र

1. डा. सत्यदेव निगमालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्, प्रोफेसर
2. डा. रामप्रकाश वर्णी, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

● संस्कृत

1. डा. सोमदेव शतांशु, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. ब्रह्मदेव, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. मौहर सिंह मीणा, एम.ए., नेट, एम.फिल., पी-एच.डी., असि. प्रोफेसर
4. डा. वेदव्रत, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● दर्शन

1. डा. भारत वेदालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डा. बबलू वेदालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● योग विज्ञान

1. डा. सुरेन्द्र कुमार, एम.ए., पी.जी. डिप्लोमा, पी-एच.डी., प्रोफे. एवं अध्यक्ष
2. डा. ऊधम सिंह, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व

1. डा. प्रभात कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., प्रोफेसर
3. डा. कुशावाहा दिलीप कुमार, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., एसोसिएट प्रोफेसर

● हिन्दी

1. डा. अजीत सिंह तोमर, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डा. सुनील कुमार, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● अंग्रेजी

1. डा. अम्बुज कुमार शर्मा, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. अरुण सिंह अवाना, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अवकाश पर)
3. डा. वरुण बक्शी, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● मनोविज्ञान

1. डा. राकेश कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. अरुण कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., नेट, एसोसिएट प्रोफेसर
3. डा. दीपक सिंह, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● ज्योतिर्विज्ञान एवं कर्मकाण्ड

1. डा. भगवान दास, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● अर्थशास्त्र

1. डा. विपुल भट्ट, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● Physics

1. Dr. L. P. Purohit, M.Sc., NET, Ph.D., Professor
2. Dr. Pawan Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Assoc. Professor & Head
3. Dr. Himanshu Gupta, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Hemwati Nandan, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor (on leave)

● Chemistry

1. Dr. R. K. Shukla, M.Sc., Ph.D., Assoc. Professor & Head
2. Dr. Jaspal Singh, M.Sc., M.E., Ph.D., Associate Professor
3. Dr. Prashant Tevatia, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Suhas, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Rajdeep Malik, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Ravindra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Jagram Meena, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Maths and Statistics

1. Dr. Manoj Kumar, M.Sc., M.Phil, NET, Ph.D., Asso. Professor & Head
2. Dr. Ajendra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Harendra Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Sag Ram Verma, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Computer Science

1. Dr. Karamjit Bhatia, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor
2. Dr. Vivek Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor & Head
3. Dr. Raj Kumar, M.Sc., M.C.A., Ph.D., Associate Professor
4. Dr. Mahendra Singh Aswal, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Shwetank Arya, M.C.A., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Krishan Kumar, M.C.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Botany and Microbiology

1. Dr. R.C. Dubey, M.Sc., Ph.D., Professor
2. Dr. Navneet, M.Sc., M.Phil., NET, Ph.D., Professor & Head
3. Dr. Mukesh Kumar, M.Sc., Ph.D., D.Sc., Professor
4. Dr. Kartikeya Kumar Gupta, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor
5. Dr. Harish Chandra, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Sandeep Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Vineet Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
8. Dr. Chiranjiv Banerjee, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Zoology and Environmental Science

1. Dr. Devendra Singh Malik, M.Sc., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Rakesh Bhutiani, M.Sc., Ph.D., Associate Professor
3. Dr. Nitin Kamboj, M.Sc., NET, Ph.D., Associate Professor
4. Dr. Vinod Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Gagan Mata, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Nitin Bhardwaj, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● भौतिक विज्ञान

1. डा. एल. पी. पुरोहित, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. पवन कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. हिमांशु गुप्ता, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. हेमवती नन्दन, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (अवकाश पर)

● रसायन विज्ञान

1. डा. आर. के. शुक्ला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. जसपाल सिंह, एम.एस-सी., एम.ई., पी-एच.डी., एसो. प्रोफेसर
3. डा. प्रशान्त तेवतिया, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. सुहास, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. राजदीप मलिक, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. रविन्द्र कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
7. डा. जगराम मीना, एम.एस-सी., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● गणित एवं सांख्यिकी

1. डा. मनोज कुमार, एम. एस-सी., एम.फिल. नेट, पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. अजेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डा. हरेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. सगराम वर्मा, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● कम्प्यूटर विज्ञान

1. डा. कर्मजीत भाटिया, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर
2. डा. विवेक कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. राज कुमार, एम.एस-सी., एम.सी.ए., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
4. डा. महेन्द्र सिंह असवाल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. श्वेतांक आर्य, एम.सी.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. कृष्ण कुमार, एम.सी.ए., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान

1. डा.आर.सी. दुबे, एम. एस-सी., पी-एच. डी. प्रोफेसर
2. डा. नवनीत, एम. एस-सी., एम.फिल., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. मुकेश कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., डी.एस-सी., प्रोफेसर
4. डा. कार्तिकेय कुमार गुप्ता, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. हरीशचन्द्र, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. संदीप कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
7. डा. विनीत कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
8. डा. चिरंजीव बनर्जी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान

1. डा. देवेन्द्र सिंह मलिक, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. राकेश भूटियानी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
3. डा. नितिन काम्बोज, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर
4. डा. विनोद कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. गगन माटा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. नितिन भारद्वाज, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

● Pharmaceutical Sciences

1. Dr. S.K. Rajput, M. Pharm., Ph.D, Professor (Adhoc)
2. Dr. Vipin Kumar, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor & Incharge
3. Sh. Kapil Kumar Goel, M.Pharm., Assistant Professor
4. Sh. Vinod Nautiyal, M.Pharm., Assistant Professor
5. Dr. Ashwani Kumar, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Prince P. Sharma, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor (Adhoc)
7. Sh. Ravipratap, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
8. Sh. Ashish Pandey, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
9. Sh. Balwant Singh Rawat, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
10. Sh. Rajendra Yadav, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
11. Sh. Deepak Singh Negi, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
12. Dr. Peeush Singhal, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor (Adhoc)
13. Dr. Abhishek Bansal, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor (Adhoc)
14. Sh. Rahul Singh, Assistant Professor, M. Pharm (Adhoc)
15. Sh. Ravindra Kumar, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
16. Sh. Rohit, M.Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
17. Sh. Tarun Kumar, M. Pharm., Assistant Professor (Adhoc)
18. Sh. Omparkash Joshi, M. Pharm., Assistant Professor (Adhoc)

● Management Studies

1. Dr. V.K. Singh, M.Com., M.Phil, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Pankaj Madan, B.E., M.B.A., M.P.W.T., Ph.D., Professor
3. Dr. Anil Dangwal, M.I.B.M., Ph.D., Asst. Professor (Adhoc)
4. Dr. Rajul Bhardwaj, M.Sc., M.B.A., Ph.D., Asst. Professor (Adhoc)
5. Dr. Ashish Arya, B.E., M.B.A., NET, Ph.D., Asst. Professor (Adhoc)
6. Dr. Mithilesh Kumar Pandey, M.Sc., M.B.A., Ph.D., Asst. Professor (Adhoc)
7. Mr. Kapil Pandey, M.Com., MFA, CFA, NET, Asst. Professor (Adhoc)
8. Mr. Ratnesh Kumar Shukla., MBA, NET, Asst. Professor (Adhoc)

Physical Education & Sports

1. Dr. Ajay Malik, M.A. (Phy. Edu.), NIS, Ph.D., Asst. Prof. & Incharge
2. Dr. Shiv Kumar Chauhan, M.Sc., M.A. (Phy. Edu.), Ph.D., Assoc. Prof. (Adhoc)
3. Dr. Kapil Mishra, M.P.Ed., M.Phil., Ph.D., Assoc. Prof. (Adhoc)
4. Dr. Anuj Kumar, M.P.Ed., M.Phil., NIS, Ph.D., Assoc. Prof. (Adhoc)
5. Mr. Pranvir Singh, M.P.Ed., M.Phil., NET, Asst. Prof. (Adhoc)

● भैषज विज्ञान

1. डा. एस.के. राजपूत, एम.फार्म., पी-एच-डी, प्रोफेसर (तदर्थ)
2. डा. विपिन कुमार, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रभारी
3. श्री कपिल कुमार गोयल, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री विनोद नोटियाल, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. अश्वनी कुमार, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. प्रिंस प्रशांत शर्मा, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
7. श्री रविप्रताप, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
8. श्री आशीष पाण्डे, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
9. श्री बलवन्त सिंह रावत, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
10. श्री राजेन्द्र यादव, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
11. श्री दीपक सिंह नेगी, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
12. डा. पीयूष सिंघल, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
13. डा. अभिषेक बंसल, एम.फार्म., पी-एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
14. श्री राहुल सिंह, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
15. श्री रविन्द्र कुमार, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
16. श्री रोहित, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
17. श्री तरूण कुमार, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
18. श्री ओमप्रकाश जोशी, एम.फार्म., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

● प्रबन्ध अध्ययन

1. डा. वी.के. सिंह, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. पंकज मदान, बी.ई., एम.बी.ए., एम.पी.डबल्यू.टी., पीएच. डी., प्रोफेसर
3. डा. अनिल डंगवाल, एम.आई.बी.एम., पीएच. डी., असि. प्रोफेसर (तदर्थ)
4. डा. राजुल भारद्वाज, एम. एससी., एम.बी.ए., पीएच. डी., असि. प्रोफेसर (तदर्थ)
5. डा. आशीष आर्य, बी.ई., एम.बी.ए., नेट, पीएच.डी., असि. प्रोफेसर (तदर्थ)
6. डा. मिथिलेश कुमार पाण्डेय, एम. एससी., एम.बी.ए., पीएच.डी., असि. प्रोफेसर (तदर्थ)
7. श्री कपिल पाण्डेय, एम.कॉम., एमएफए, सीएफए, नेट, असि. प्रोफेसर (तदर्थ)
8. श्री रतनेश कुमार शुक्ला, एम.बी.ए., नेट, असि. प्रोफेसर (तदर्थ)

शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग

1. डा. अजय मलिक, एम.ए. (शा.शिक्षा), एन.आई.एस., पीएच.डी., असि. प्रो. एवं प्रभारी
2. डा. शिव कुमार चौहान एम.एस.सी., एम.ए. (शा.शिक्षा), पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (तदर्थ)
3. डा. कपिल मिश्रा, एम.पी.एड., एम.फिल., पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (तदर्थ)
4. डा. अनुज कुमार, एम.पी.एड., एम.फिल., एन.आई.एस., पीएच.डी., एसो. प्रोफेसर (तदर्थ)
5. श्री प्रणवीर सिंह, एम.पी.एड., एम.फिल., नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

● Applied Sciences

1. Dr. Sunil Panwar, M.Sc., Ph.D, Associate Professor
2. Dr. M.M. Tiwari, M.Sc., Ph.D, Associate Professor & Head
3. Dr. Vivek Goel, M.Sc., Ph.D, Asstt. Professor
4. Dr. L.K. Joshi, M.Sc., Ph.D, Asstt. Professor
5. Dr. Devendra Singh, M.Sc., Ph.D, Asstt. Professor
6. Dr. Ajay Kumar, M.Sc., Ph.D, Asstt. Professor

● Computer Science & Engineering

1. Dr. Mayank Aggrawal, M.Tech, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Nishant Kumar, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
3. Mr. Namit Khanduja, M.Tech, Asstt. Professor
4. Dr. Suyash Bhardwaj, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
5. Mr. Vivudh Fore, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
6. Mr. Aman Tyagi, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
7. Mr. Sumit Bansal, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
8. Mr. Deepak Painnuly, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
9. Mr. Ashwani, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
10. Dr. Aman Tyagi, M.Tech., Ph.D., Assistant Professor (Adhoc)

● Electronics & Communication Engineering

1. Dr. Vipul Sharma, M.Tech, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Tanuj Kumar Garg, M.Tech, Ph.D., Asstt. Professor
3. Mr. Anuj Kumar Sharma, M.Tech, Asstt. Professor
4. Mr. Shiv Kumar, M.Tech., Asstt. Professor
5. Mr. Prateek Agarwal, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
6. Mr. Gaurav Kumar Malik, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
7. Dr. Atul Kumar Varshney, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
8. Mr. Ashish Nainwal, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
9. Mr. Amrishi, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)
10. Mr. Vivek Arya, M.Tech, Asstt. Professor (Adhoc)

Electrical Engineering

1. Mr. Gajendra Singh. Rawat, M.Tech., Asstt. Professor
2. Mr. Yogesh Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)
3. Mr. Brijesh Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)
4. Dr. Ashish Dhamanda, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Adhoc)
5. Mr. Bipin Kumar Nishad, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)
6. Mr. Gaurav Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)

Mechanical Engineering

1. Mr. Sanjeev Kumar Lambha, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor
2. Mr. Praveen K. Pandey, M.Tech., Asstt. Professor
3. Mr. Rishi K. Prajapati, M.Tech., Asstt. Professor
4. Dr. Jasbir Singh, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Adhoc)
5. Mr. Kapildev Sharma, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)
6. Dr. Sunil Kumar, M.Tech., Ph.D., Asstt. Professor (Adhoc)
7. Mr. Yogesh Kumar, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)
8. Mr. Mayank Pokhriyal, M.Tech., Asstt. Professor (Adhoc)

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय

अनुप्रयुक्त विज्ञान

1. डा. सुनील पंवार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर
2. डा. एम.एम. तिवारी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. विवेक गोयल, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. लोकेश कुमार जोशी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डा. देवेन्द्र सिंह, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
6. डा. अजय कुमार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर

कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग

1. डा. मयंक अग्रवाल, एम. टेक, पी.एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. निशांत कुमार, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री नमित खण्डूजा, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डा. सुयश भारद्वाज, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
5. श्री विवुध फोरे, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
6. श्री अमन त्यागी, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
7. श्री सुमित बंसल, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
8. श्री दीपक पैन्गुली, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
9. श्री अश्वनी, एम. टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
10. डॉ. अमन त्यागी, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग

1. डा. विपुल शर्मा, एम.टेक, पी.एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. तनुज कुमार गर्ग, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री अनुज कुमार शर्मा, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री शिवकुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
5. श्री प्रतीक अग्रवाल, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
6. श्री गौरव कुमार मलिक, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
7. डा. अतुल कुमार वाष्णीय, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
8. श्री आशीष नैनवाल, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
9. श्री अमरीश, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
10. श्री विवेक आर्य, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

1. श्री गजेन्द्र सिंह रावत, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. श्री योगेश कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
3. श्री ब्रिजेश कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
4. डा. आशीष धमांदा, एम.टेक, पी.एच-डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
5. श्री बिपिन कुमार निषाद, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
6. श्री गौरव कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

1. श्री संजीव कुमार लाम्भा, एम.टेक, पी.एच-डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
2. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री ऋषि कुमार प्रजापति, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ. जसवीर सिंह, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
5. श्री कपिलदेव शर्मा, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
6. डॉ. सुनील कुमार, एम.टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
7. श्री योगेश कुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)
8. श्री मयंक पोखरियाल, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)

KANYA GURUKULA CAMPUS, HARIDWAR

1. Dr. Namita Joshi, M.Sc., Ph.D., Professor, Environmental Science
2. Dr. Suchitra Malik, M.A., Ph.D., Professor, Hindi
3. Dr. Seema Sharma, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor, Mathematics
4. Dr. Anjali Goyal, M.Sc., Ph.D., Professor, Chemistry
5. Dr. Mudita Agnihotri, M.A., M.Phil, Ph.D., Professor, English
6. Dr. Mridul Joshi, M.A., Ph.D., Professor, Hindi
7. Dr. Abha Shukla, M.Sc., Ph.D., Associate Professor, Chemistry
8. Dr. Nidhi Handa, M.Sc., Ph.D., Associate Professor, Maths
9. Dr. Deepa Gupta, M.A., Ph.D., Associate Professor, A.I. History
10. Dr. Manjusha Kaushik, M.A., Ph.D., Associate Professor, English
11. Dr. Sangeeta Madan, M.Sc., Ph.D., Associate Professor, Env. Sc.
12. Dr. Babita Sharma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Philosophy
13. Dr. Sunita Rani, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Psychology
14. Dr. Ritu Arora, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor, Maths
15. Dr. Richa Saini, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Physics
16. Dr. Manila, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor, Chemistry
17. Dr. Varinder Virk, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Microbiology
18. Dr. Nisha Sharma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
19. Dr. Kalpna Sagar, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Microbiology
20. Dr. Bindu Arora, M.Com., Ph.D., Professor, Management
21. Dr. Surekha Rana, M.B.M., M.Phil, Ph.D., Professor, Management
22. Dr. Poonam Penuali, MBM, Ph.D., Assistant Prof., Management
23. Dr. Bindu Malik, M.A., M.Phil, Ph.D., Asst. Prof., Physical Education (Adhoc)
24. Dr. Ashima Garg, M.B.A., Ph.D., Assistant Prof., Management (Adhoc)
25. Dr. Indu Gautam, M.B.A., Ph.D., Assistant Prof., Management (Adhoc)

KANYA GURUKULA CAMPUS, DEHRADUN

1. Dr. Hemlata K., M.A., Ph.D., Professor, English
2. Dr. Nipur, M.C.A., Ph.D., Professor, Computer Science
3. Dr. Renu Shukla, M.A., Ph.D., Professor, A.I. History
4. Dr. Heman Pathak, M.C.A., Ph.D., Professor, Computer Science
5. Dr. Praveena Chaturvedi, M.C.A., Ph.D., Professor, Comp. Science
6. Dr. Neena Gupta, M.C.A., Ph.D., Assoc. Professor, Computer Science
7. Dr. Nisha Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
8. Dr. Savita, M.Tech., NET., Ph.D., Asst. Prof., Computer Science
9. Dr. Mamta Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
10. Dr. Sarita Negi, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
11. Dr. Suniti Arya, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Sanskrit
12. Dr. Reena Verma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, English

कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार

1. डा. नमिता जोशी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान
2. डा. सुचित्रा मलिक, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, हिन्दी
3. डा. सीमा शर्मा, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, गणित
4. डा. अंजलि गोयल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
5. डा. मुदिता अग्निहोत्री, एम.ए., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
6. डा. मृदुल जोशी, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, हिन्दी
7. डा. आभा शुक्ला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
8. डा. निधि हांडा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, गणित
9. डा. दीपा गुप्ता, एम.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, प्रा.भा.इतिहास
10. डा. मंजुषा कौशिक, एम.ए., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी
11. डा. संगीता मदान, एम.एस-सी., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान
12. डा. बबीता शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन
13. डा. सुनीता रानी, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान
14. डा. रीतू अरोड़ा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित
15. डा. रिचा सैनी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी
16. डा. मनीला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन
17. डा. वरिन्दर विर्क एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी
18. डा. निशा शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी
19. डा. कल्पना सागर, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी
20. डा. बिन्दु अरोड़ा, एम.कॉम., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
21. डा. सुरेखा राणा, एम.बी.एम., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
22. डा. पूनम पैन्थूली, एम.बी.एम., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन
23. डा. बिन्दु मलिक, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., असि. प्रोफेसर, शा.शि. (तदर्थ)
24. डा. आशिमा गर्ग, एम.बी.एम., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन (तदर्थ)
25. डा. इन्दु गौतम, एम.बी.एम., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन (तदर्थ)

कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

1. डा. हेमलता के., एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
2. डा. निपुर, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
3. डा. रेणु शुक्ला, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर, प्रा.भा. इतिहास
4. डा. हेमन पाठक, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
5. डा. प्रवीणा चतुर्वेदी, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
6. डा. नीना गुप्ता, एम.सी.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
7. डा. निशा यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी
8. डा. सविता, एम.टेक, नेट, पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस
9. डा. ममता यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत
10. डा. सरिता नेगी, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत
11. डा. सुनीति आर्य, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत
12. डा. रीना वर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी

PROCTORIAL BOARD

Prof. Brahmdev, Chief Proctor (Mob. 9412307123)

Dr. Ajay Malik, Proctor

MAIN PREMISES

1. Prof. Navneet Member (Chief Warden Ex. Officio)
2. Prof. Renu Shukla, Member, KGC, Dehradun (Ex. Officio)
3. Prof. Suchitra Malik, Coordinator, KGC, Haridwar (Ex. Officio)
4. Dr. Arun Kumar, Member (DSW - Ex. Officio)
5. Dr. Rakesh Bhutiani Member (NCC - Ex. Officio)
6. Dr. Nitin Kamboj Member (A.N.O. Security)
7. Dr. Vinod Kumar Member
8. Dr. Tanuj Kumar Garg Member
9. Dr. Manila Member
10. Dr. Vipin Kumar Member
11. Dr. Mohar Singh Meena Member (NSS-Ex.officio)
12. Dr. Mahendra Singh Aswal Member
13. Dr. Jaspal Member
14. Dr. Udham Singh Member
15. Dr. Ravindra Kumar Member
16. Dr. Babloo Member
17. Dr. Reena Verma Member
18. Dr. Rajul Bhardwaj Member
19. Sh. Vivudh Fore Member
20. Sh. Ambrish Kumar Member
21. Dr. Dharmendra Kumar Member
22. Dr. Shiv Kumar Chauhan Member/Convenor

अनुशासन समिति

प्रो. ब्रह्मदेव, मुख्य अनुशास्ता (मो. 9412307123)

डा. अजय मलिक, अनुशास्ता

मुख्य परिसर

1. प्रो. नवनीत, सदस्य (मुख्य वार्डन पदेन)
2. प्रो. रेनु शुक्ला, सदस्य, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून (पदेन)
3. प्रो. सुचित्रा मलिक, सदस्य, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार (पदेन)
4. डा. अरूण कुमार, सदस्य (डीन छात्र कल्याण-पदेन)
5. डा. राकेश भुट्यानी, सदस्य (एन.सी.सी.-पदेन)
6. डा. नितिन काम्बोज सदस्य (ए.एन.ओ. सुरक्षा)
7. डा. विनोद कुमार सदस्य
8. डा. तनुज कुमार गर्ग सदस्य
9. डा. मनीला सदस्य
10. डा. विपिन कुमार सदस्य
11. डा. मौहर सिंह मीणा, सदस्य (एन.एस.एस.-पदेन)
12. डा. महेन्द्र सिंह असवाल सदस्य
13. डा. जसपाल सदस्य
14. डा. उधम सिंह सदस्य
15. डॉ. रविन्द्र कुमार सदस्य
16. डा. बबलू सदस्य
17. डा. रीना वर्मा सदस्य
18. डा. राजुल भारद्वाज सदस्य
19. श्री विवुध फोर सदस्य
20. श्री अम्बरीश कुमार सदस्य
21. डा. धर्मेन्द्र कुमार सदस्य
22. डा. शिवकुमार चौहान सदस्य/संयोजक

STUDENTS COUNSELING & GRIEVANCE CELL/ EQUAL OPPORTUNITY CELL/ WOMEN EMPOWERMENT CELL/ SPORT COUNCIL

In order to facilitate the students counseling centre, equal opportunity cell, women empowerment cell and students grievance cell have been established in the Vishwavidyalaya as per direction of U.G.C.

Students Counseling Centre

Dr. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Chairman
Dr. Richa Saini, K.G.C., Haridwar	Member
Dr. Vipul Bhatt, Dept. of Economics	Member
Dr. Suyash Bhardwaj, FET	Member
Dr. Ajit Singh Tomar, Dept of Hindi	Member/ Convenor

Student Grievance Cell

Prof. Brahmdev	Chairman
Prof. Namita Joshi	Member
Prof. Nipur Singh	Member
Prof. Vipul Sharma	Member
Dr. Arun Kumar	Member
Dr. Ajay Malik	Member
One student from the place of incidence concerned	Member
Dr. Shiv Kumar Chauhan,	Convener

Equal Opportunity Cell

Dr. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Chairman
Dr. Vipul Bhatt, Dept. of Economics	Member
Dr. Deen Dayal, Dept. of Veda	Member
Dr. Maneela, K.G.C., Haridwar	Member
Dr. Sunil Kumar, Dept. of Hindi	Member/Convener

Women Empowerment Cell

Prof. Suchitra Malik, K.G.C., Haridwar	Chairman
Prof. Hemlatha K., K.G.C., Dehradun	Member
Prof. Namita Joshi, K.G.C., Haridwar	Member
Prof. Nipur Singh, K.G.C., Haridwar	Member
Smt. Reeta Sahrawat, K.G.C., Haridwar	Convener

Sports Council (Subject to Change)

1. Prof. Somdev Shatanshu, Vice Chancellor	Chairman
2. Prof. Sunil Kumar, Registrar	Member
3. Prof. Devendra Kumar Gupta, Finance Officer	Member
4. Prof. R.K.S. Dagar	Special Invite Member
5. Prof. L.P. Purohit	Member
6. Prof. Brahmdev	Member
7. Prof. D.S. Malik	Member
8. Prof. Suchitra Malik, KGC, Haridwar	Member
9. Prof. Nipur, KGC, Dehradun	Member
10. Prof. Sunil Panwar	Member
11. Prof. Surendra Kumar	Member
12. Prof. Prabhat Kumar	Member
13. Prof. Satendra Kumar Rajput	Member
14. Dr. Shiv Kumar Chauhan	Member
15. Dr. Nitin Kamboj	Member
16. Dr. Mahendra Singh Aswal	Member
17. Dr. Rajul Bhajdwaj	Member
18. Dr. Ajay Malik	Secretary

छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर एवं शिकायत प्रकोष्ठ/ समान अवसर प्रकोष्ठ/ महिला सशक्ति प्रकोष्ठ/ क्रीड़ा परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में छात्रा/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर व शिकायत प्रकोष्ठ समान अवसर प्रकोष्ठ एवं महिला सशक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर

डा. अरुण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
डा. रिचा सैनी, क.गु.परिसर, हरिद्वार	सदस्या
डा. विपुल भट्ट, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
डा. सुयश भारद्वाज, अभि. एवं प्रौ. संकाय	सदस्य
डा. अजीत सिंह तोमर, हिन्दी विभाग	सदस्य

छात्र/छात्राओं हेतु शिकायत प्रकोष्ठ

प्रो. ब्रह्मदेव	अध्यक्ष
प्रो. नमिता जोशी	सदस्या
प्रो. निपुर सिंह	सदस्या
प्रो. विपुल शर्मा	सदस्य
डा. अरुण कुमार	सदस्य
डा. अजय मलिक	सदस्य
संबंधित घटना स्थल पर विद्यमान एक छात्रा/छात्रा	सदस्य
डा. शिवकुमार चौहान	संयोजक

समान अवसर प्रकोष्ठ

डा. अरुण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
डा. विपुल भट्ट, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
डा. दीनदयाल, वेद विभाग	सदस्य
डा. मनीला, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्या
डा. सुनील कुमार, हिंदी विभाग	सदस्य/संयोजक

महिला सशक्ति प्रकोष्ठ

प्रो. सुचित्रा मलिक, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	अध्यक्षा
प्रो. हेमलता के., कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून	सदस्या
प्रो. नमिता जोशी, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्या
प्रो. निपुर सिंह, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्या
श्रीमती रीता सहरावत, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	संयोजिका

क्रीड़ा परिषद (परिवर्तनीय)

1. प्रो. सोमदेव शतांशु, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. सुनील कुमार, कुलसचिव	सदस्य
3. प्रो. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, वित्ताधिकारी	सदस्य
4. प्रो. आर.के.एस. डागर	विशेष आमन्त्रित सदस्य
5. प्रो. एल.पी. पुरोहित	सदस्य
6. प्रो. ब्रह्मदेव	सदस्य
7. प्रो. डी.एस. मलिक	सदस्य
8. प्रो. सुचित्रा मलिक, क.गु.प., हरिद्वार	सदस्या
9. प्रो. निपुर, क.गु.प., देहरादून	सदस्या
10. प्रो. सुनील पंवार	सदस्य
11. प्रो. सुरेन्द्र कुमार	सदस्य
12. प्रो. प्रभात कुमार	सदस्य
13. प्रो. सतेन्द्र कुमार राजपूत	सदस्य
14. डा. शिवकुमार चौहान	सदस्य
15. डा. नितिन काम्बोज	सदस्य
16. डा. महेन्द्र सिंह असवाल	सदस्य
17. डा. राजुल भारद्वाज	सदस्य
18. डॉ. अजय मलिक	सचिव

ANTI RAGGING SQUAD AND ANTI RAGGING COMMITTEE

Prof. Somdev Shatanshu, Vice Chancellor- Chairman

Prof. Brahmddev, Sanskrit Deptt.-Nodal Officer (M. 8412307123)

Anti Ragging Squad**1. Main Campus & Hostel (For Boys)**

Prof. V.K. Singh, Deptt. of Management Studies

Prof. Navneet, Deptt. of Botany & Microbiology

Prof. Prabhat Kumar, Deptt. of A.I. Indian History Culture & Arch.

Prof. L.P. Purohit, Deptt. of Physics

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

2. Kanya Gurukul Campus, Haridwar (For Girls)

Prof. Namita Joshi, Deptt. of Env. Sc.-Convenor (M. 7300761358)

Prof. Suchitra Malik, Deptt. of Hindi

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)

Prof. Nipur, Deptt. of Computer Science

Prof. Renu Shukla, Deptt. of A.I. History

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

4. Faculty of Engineering & Technology and Hostel (For Boys)

Dr. M.M. Tiwari-Convenor (M. 7300761272)

Dr. Mayank Agarwal

Dr. Vivek Goel

Sh. Sanjeev Kumar Lamba

Sh. Tanuj Garg

Dr. Dharmendra Baliyan

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

Anti Ragging Committee

1. Main Campus & Science Hostel (For Boys)

Prof. R.C. Dubey, Deptt. of Botany & Microbiology

Prof. V.K. Singh, Deptt. of Management Studies

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

2. Kanya Gurukul Campus, Haridwar (For Girls)

Prof. Surekha Rana, Deptt. of Management Studies

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)

Prof. Hemlata K. Convenor (M. 9897258202)

Prof. Nipur, Deptt. of Computer Science

Dr. Renu Shukla, Deptt. of A.I. History

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

4. Faculty of Engineering & Technology (For Boys)

Dr. Sunil Panwar, Convenor (M. 7300761238)

Dr. M.M. Tiwari

Dr. Vipul Sharma

Dr. Lokesh Kumar Joshi

Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

एन्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एन्टी रैगिंग समिति

प्रो. सोमदेव शतांशु, कुलपति-अध्यक्ष

प्रो0 ब्रह्मदेव, संस्कृत विभाग-नोडल अधिकारी (मो. 9412307123)

एन्टी रैगिंग स्क्वाड**1. मुख्य परिसर एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)**

प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग

प्रो. नवनीत, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग

प्रो. प्रभात कुमार, प्राचीन भा. इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

प्रो. एल.पी. पुरोहित, भौतिकी विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक

2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)

प्रो. नमिता जोशी, पर्यावरण विज्ञान विभाग-समन्वयक (मो. 7300761358)

प्रो. सुचित्रा मलिक, हिन्दी विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक

3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)

प्रो. निपुर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

प्रो. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक

4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)

डा. एम.एम. तिवारी-समन्वयक (मो. 7300761272)

डा. मयंक अग्रवाल

डा. विवेक गोयल

श्री संजीव कुमार लाम्बा

श्री तनुज गर्ग

डा. धर्मेन्द्र बालियान

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक

एन्टी रैगिंग समिति

1. मुख्य परिसर एवं विज्ञान छात्रावास (छात्रों के लिए)

प्रो. आर.सी. दुबे, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग

प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक

2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)

प्रो. सुरेखा राणा, प्रबन्ध अध्ययन विभाग

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक

3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)

प्रो. हेमलता के., समन्वयक (मो. 9897258202)

प्रो. निपुर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

डा. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक

4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (छात्रों के लिए)

डा. सुनील पंवार, समन्वयक (मो. 7300761238)

डा. एम. एम. तिवारी

डा. विपुल शर्मा

डा. लोकेश कुमार जोशी

अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक

आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ (Internal Complaint Cell, ICC)

1. प्रो० अंजली गोयल, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार, फोन नं०- 7300761226	सदस्या
2. डॉ० अतिमा नारंग, नारंग हॉस्पिटल, निकट-विजय टाकिज, चौक-नवाबगंज, सहारनपुर, फोन नं०- 9897633851	बाह्य विशेषज्ञ
3. श्री मनीष अग्रवाल, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, फोन नं०- 7300761270	सदस्य
4. डॉ० स्वाति अग्रवाल, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, फोन नं०-8477908605	सदस्या
5. श्री आदित्य नायर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, फोन नं०-7500823923	सदस्य-विद्यार्थी
6. श्री अरमान वारसी, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, फोन नं०-9084694128	सदस्य-विद्यार्थी
7. सुश्री ज्योति गुप्ता, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, क०गु०,परिसर, देहरादून, फोन नं०-9837916448	सदस्या-विद्यार्थिनी
8. डॉ० राकेश भुटियानी, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, फोन नं०- 9412072917	संयोजक

अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ Research & Development Cell

प्रो. आर.सी. दुबे, निदेशक अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

1. वित्त एवं आधारभूत संरचना समिति (Finance & Infrastructure Committee)

प्रो. वी.के. सिंह	-	अध्यक्ष
प्रो. हेमलता के.	-	सदस्या
प्रो. पंकज मदान	-	सदस्य
श्री रंजीत कुमार	-	सदस्य
डा. विनोद कुमार	-	संयोजक

2. अनुसंधान कार्यक्रम एवं पालिसी डवलपमेन्ट (Research Program, Policy Development)

प्रो. देवेन्द्र कुमार गुप्ता	-	अध्यक्ष
प्रो. एल.पी. पुरोहित	-	सदस्य
प्रो. अंजलि गोयल	-	सदस्या
डा. हरेन्द्र कुमार	-	संयोजक

3. कोलेब्रेशन एवं कम्युनिटी (Collaboration & Community)

प्रो. डी.एस. मलिक	-	अध्यक्ष
प्रो. निपुर सिंह	-	सदस्या
प्रो. राजकुमार भाटिया	-	सदस्य
डा. मौहर सिंह मीणा	-	सदस्य
डॉ. विपुल शर्मा	-	संयोजक

4. उत्पाद विकास, मॉनिटरिंग एवं व्यवसायीकरण (Product Development, Monitoring Commercialization)

प्रो. नवनीत	-	अध्यक्ष
डा. विपिन कुमार	-	सदस्य
डा. गगन माटा	-	सदस्य
डा. संजीव लाम्बा	-	सदस्य
डा. रविन्द्र कुमार	-	संयोजक

5. आई.पी.आर., विधिक एवं इथिकल मेटर (IPR, Legal & Ethical Matters)

डा. एम.एम. तिवारी	-	अध्यक्ष
प्रो. सतेन्द्र राजपूत	-	सदस्य
डा. श्वेतांक	-	सदस्य
डा. सुहास	-	सदस्य
डा. कपिल गोयल	-	संयोजक

**ACADEMIC CALANDER
SESSION 2023-2024**

**एकेडमिक कैलेंडर
सत्र 2023-2024**

1	Last date for submitting the filled in application	15.07.2023
2	Last date of the DRC meeting	12.09.2023
3	Last date for admission to Ph.D. course work	20.09.2023
4	Date of commencement of Ph.D. course work classes	21.09.2023
5	Examination of Ph.D. course work	Last week of Jan. 2024
6	Declaration of result of Ph.D. course work	Last week of Feb. 2024
7	Last date for submission of application form along with Ph.D. synopsis	31.03.2024
8	Last date of RDC meeting	15.04.2024

1	शोध में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	15.07.2023
2	विभागीय शोध समिति की बैठक किये जाने की अंतिम तिथि	12.09.2023
3	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	20.09.2023
4	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य का शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	21.09.2023
5	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा की तिथि	जनवरी 2024 अन्तिम सप्ताह
6	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के परीक्षा परिणाम की घोषणा	फरवरी 2024 अन्तिम सप्ताह
7	पी-एच.डी. रूपरेखा सहित आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि	31.03.2024
8	शोध उपाधि समिति की बैठक की अंतिम तिथि	15.04.2024

Note :-

1. The Candidate will be informed about the actual date of DRC/ RDC meeting.
2. Alteration can be made in the above dates, if required.

नोट:-

1. अभ्यर्थी को विभागीय शोध समिति/शोध उपाधि समिति की बैठक की वास्तविक तिथि की सूचना दी जायेगी।
2. उपरोक्त तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

FEE STRUCTURE-I (FULL TIME Ph.D. PROGRAMME) (2023-24)

A. I Year

S. No.	Head	Category A*		Category B**	
		I Inst.#	II Inst.#	I Inst.#	II Inst.#
1.	Ph.D. Course Work Registration Fee	1000	-	1000	-
2.	Ph.D. Course Work Fee	8000		8000	
3.	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	5000	-	5000
4.	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	5000	-	5000
5.	Library Fee	1000	-	1000	-
6.	Library Caution Money (Refundable)	5000		5000	
7.	Internet Fee/Journal Subscription Fee	1000	1000	1000	1000
8.	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9.	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	6000
10.	Pre Ph.D. Examination Fee	1000	-	1000	-
	Total (Rs.)	17000	11000	17000	17000

* Note: Ist Instalment: At the time of Registration in Ph.D. course work, IInd Instalment: At the time of Submission of Ph.D. Synopsis

B. II Year & onwards (Yearly Fee)

S. No.	Head	Category A*	Category B**
1.	Cummulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	3000	9000
2.	Library Fee	1000	1000
	Total (Rs.)	4000	10000

C. Quarterly Progress Report Fee : Rs. 1500/- (Rs. 500/- per month), Late Fee Rs. 100/- per month

D. One Time Fee:

1.	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	Rs. 15000/-
2.	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	Rs. 15000/-

Category of subjects

Category	Subjects
Category A	Sanskrit/Veda/Philosophy/English/ Hindi/ A. I. History/ Psychology/ Yogic Science/ Physical Education/ Economics/ Shraddhanand Vedic Shodh /Jyotirvigyan
Category B	Maths/ Physics/ Management /Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Micro Biology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Commn. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)

Note :-

- First installment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course work.
- Second Installment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
- Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year, otherwise late payment of Rs. 100/- per month shall be paid after due date.
- No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
- No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.
- In addition to above fee, student shall have to pay Rs. 350/- (Medical fee & Medical Insurance) per year and Rs. 1000/- alumni fee (one time).

FEE STRUCTURE-II (PART TIME Ph.D. PROGRAMME) (2023-24)

S. No.	Head	Category A*		Category B**	
		I Inst.#	II Inst.#	I Inst.#	II Inst.#
1.	Ph.D. Course Work Registration Fee	1000	-	1000	-
2.	Ph.D. Course Work Fee	25000		25000	
3.	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	10000	-	10000
4.	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	10000	-	10000
5.	Library Fee	1000	-	1000	-
6.	Library Caution Money (Refundable)	5000		5000	
7.	Internet Fee/Journal Subscription Fee	1000	2000	1000	2000
8.	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9.	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	12000
10.	Pre Ph.D. Examination Fee	1000	-	1000	-
	Total (Rs.)	34000	22000	34000	34000

Note: Ist Instalment: At the time of Registration in Ph.D. course work, IInd Instalment: At the time of Submission of Ph.D. Synopsis

B. II Year & onwards (Yearly Fee)^

S.No.	Head	Category A		Category B	
		Maintenance Department	Self Finance Dept.	Maintenance Department	Self Finance Dept.
1.	Comulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	10000	20000	34000	61000
2.	Library Fee	2000	4000	2000	4000
	Total (Rs.)	12000	24000	36000	65000

^Note : Yearly fee (from II year & onwards) shall be deposited up to 31st July each year.

C. Quarterly Progress Report Fee (for all): Rs. 3000/- (Rs. 1000/- per month), Late Fee Rs. 200/- per month

D. One Time Fee (for all):

1.	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	Rs. 15000/-
2.	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	Rs. 15000/-

*Category of subjects

Category	Subjects
*Category A	Sanskrit/Veda/Philosophy/English/ Hindi/ A. I. History/ Psychology/ Yogic Science/ Physical Education/ Economics/ Shraddhanand Vedic Shodh /Jyotirvigyan
**Category B	Maths/ Physics/ Management/ Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Micro Biology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Commn. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)

Note :-

1. First installment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course work.
2. Second Instalment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
3. Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year, otherwise late payment of Rs. 200/- per month shall be paid after due date.
4. No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
5. No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.
- 6.* For Staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non teaching employee of GK(DU), fee of part time Ph.D. programme under self finance departments shall be same as that of maintenance departments.
7. In addition to above fee, students shall have to pay Rs. 350/- (Medical fee & Medical Insurance) per year and Rs. 1000/- alumni fee (one time)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HARIDWAR
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

FEE TO BE CHARGED UNDER OTHER HEADS

FEE OTHER HEADS
(For all courses)

● Degree/Certificate fee	
● On convocation	400/-
● After convocation	500/-
● Provisional Certificate fee	300/-
● Recounting of marks fee per paper	200/-
● Migration submission late fee (monthly)	200/-
● Duplicate Certificate/Degree fee	500/-
● Duplicate Mark-sheet fee	500/-
● Migration Certificate fee	300/-
● Duplicate Migration fee	500/-
● Repeat Examination fee per paper	1000/-
● Character Certificate fee	100/-
● Primary Health Center fee (Annual)*	200/-
● Medical Insurance Fee (Annual)*	150/-
● Alumni Fee*	
U.G.	400/-
P.G.	500/-
Ph. D./D.Litt./D.Sc.	1000/-

अन्य मदों में लिया जाने वाला शुल्क

अन्य मदों में लिया जाने वाला शुल्क
(सभी पाठ्यक्रमों के लिये)

● उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क	
दीक्षान्तोत्सव पर	400/-
दीक्षान्त के बाद	500/-
● प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क	300/-
● पुनः अंकगणना शुल्क प्रति प्रश्न पत्र	200/-
● माइग्रेशन विलम्ब शुल्क (मासिक)	200/-
● डुप्लीकेट प्रमाण पत्र/उपाधि शुल्क	500/-
● डुप्लीकेट अंक पत्र शुल्क	500/-
● माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क	300/-
● डुप्लीकेट माइग्रेशन शुल्क	500/-
● पुनः परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न पत्र	1000/-
● चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	100/-
● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुल्क (वार्षिक)	200/-
● मेडिकल इश्योरेंस (वार्षिक)*	150/-
● पूर्व छात्र शुल्क*	
स्नातक	400/-
स्नातकोत्तर	500/-
पी.एच-डी./डी.लिट्./डी.एस-सी.	1000/-

** Shall be charged at the time of admission*

** प्रवेश के समय लिया जायेगा।*

Note:- Error, if any, is with subject to rectification in the Information Brochure.